रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938
No. 261] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 13 जून, 2016

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा 1की पठित उपधारा (2) के खंड (ब) और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** .—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

इन विनियमों का उद्देश्य सेवानिवृत्ति सलाहकार की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क इत्यादि के लिए रूपरेखा प्रदान करना और पेंशन सेक्टर के क्रमबद्ध विकास के लिए सेवानिवृत्ति सलाकार के कार्यक्षेत्र और दायित्वों को परिभाषित करना है।

2. **परिभाषाएं** – इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :–

(i) 'अधिनियम' से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;

(ii) 'कोई अन्य पेंशन स्कीम' अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) के खंड (ख) में उल्लेखित कोई अन्य पेंशन स्कीम अभिप्रेत है;

(iii) 'संपरीक्षक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 139 के तहत हुई हो अथवा जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन किसी कंपनी के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए अर्हित है;

(iv) 'प्राधिकरण' से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उप–धारा 1 के अंतर्गत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(v) 'अध्यक्ष' से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(vi)'कम्पनी' से कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निगमित अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कोई इकाई अभिप्रेत है;

(vii)'अनुपालन अधिकारी' से सेवानिवृत्ति सलाहाकर के प्रतिउत्तरदायी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, और जिसे उस रूप में पदाभिहित और अधिनियम के प्रावधानों, प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियमो या विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निर्देशों इत्यादि का अनुपालन किये जाने और अभिदाताओं की शिकायतो के निराकरण को मानीटर करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(viii)'फीस और शुल्क' से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन मध्यवर्तियों द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में देय फीस और शुल्क अभिप्रेत है;

(ix)'सदस्य' से प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित उसके सदस्य अभिप्रेत है;

(x)'संभावित अभिदाता' से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के भावी अभिदाता अथवा अभिदाताओं का समूह अथवा कोई संगठन या निगम या नियोक्ता, जो अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेशन प्रणाली को कियान्वित करने की वांछा रखता हो अथवा ऐसी पेंशन प्रणाली को लागू कर चुका हो, अभिप्रेत है;

(xi)'सेवानिवृत्ति सलाहकार'से कोई ऐसा व्यक्ति, पंजीकृत साझेदार कंपनी, निगमित निकाय, अथवा कोई पंजीकृत न्यास अथवा संस्था जो संभावित अभिदाताओं/अभिदाताओं अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों और जो कि इन विनियमों के अधीन पंजीकृत हो, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना पर सलाह उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से अनुबंधित होने की वांछा रखता हो, अभिप्रेत है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में परिभाषित न किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका अधिनियम में है।

अध्याय 2

सेवानिवृत्ति सलाहकार का रजिस्ट्रीकरण

3. **प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने के लिए आवेदन** .—(1) इन विनियमों के प्रारंभ की तिथि से, सेवानिृवृत्ति सलाहकार के रूप में कार्यरत अथवा ऐसा कार्य करने की वांछा रखने वाला अथवा क्षमता धारित कोई व्यक्ति, कम्पनी अथवा निगमित इकाई अथवा कोई पंजीकृत न्यास अथवा सोसायटी जो कि किसी भी संभावित अथवा विद्यमान अभिदाता को, नवीन खाता खोलने को सुकर बनाने अथवा विद्यमान अभिदाताओं को सलाहकार सेवाएं प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अथवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित कोई अन्य पेंशन स्कीम पर लिखित अथवा मौखिक किसी भी रीति में सेवानिवृति सलाहकार के रूप में सलाह प्रदान अथवा प्रसारित करने की वांछा रखता हो, सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण से, जैसा इन विनियमों में निर्दिष्ट हो, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने का आवेदन इन विनियमों की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट रीति में अप्रतिदेय आवेदन फीस के संदाय के साथ, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र 'क' में किया जाएगा।

4. **रजिस्ट्रीकरण से छूट** .—(1) निम्न व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को इन निर्धारित शर्तों के अध्यधीन विनियम 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा जोः

(क) प्राधिकरण द्वारा विनियमित कोई मध्यवर्ती अथवा संस्था को

(ख) उप विनियम 2 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट संस्था के अतिरिक्त कोई अन्य संस्था जिसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके

(2) उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को विनिर्दिष्ट शर्तों की संतृप्ति के अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा जो कि

(क) किसी वकील, अधिवक्ता अथवा विधि कम्पनी, जो अपने विधिक अनुशीलन के संबंध में अपने ग्राहकों को सेवानिवृत्ति सलाह उपलब्ध कराते हैं

(ख) इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटस ऑफ इंडिया, इंस्टीटयुट ऑफ कम्पनी सेकट्रीज ऑफ इंडिया, इंस्टीटयुट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्कस अकाउंटस ऑफ इंडिया, इंस्टीटयुट ऑफ एक्चुरिज ऑफ इंडिया अथवा कोई अन्य व्यवसायिक इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके, का कोई सदस्य, जो अपने ग्राहकों को अपनी व्यवसायिक सेवाओं के संबंध में सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान करता हो।

(ग) कोई अन्य इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति अथवा इकाई इन विनियमोंमें यथा विनिर्दिष्ट सामान्य बाध्यता (ओं) और उत्तरदायित्वोंके अनुपालन से आबद्धकर रहेगा और किसी भी प्रकार के व्यतिक्रम जैसा इन विनियमों में उपलब्ध है, के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं ने इन विनियमों के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है या उन्हें अनुदत्त नहीं किया गया है।

5. **सूचनाओं, स्पटीकरणों का दिया जाना और व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण** .—(1)प्राधिकरण, आवेदक से विनियम 3 के उप विनियम 2 के अंतर्गत किये गये आवेदन के निपटारे के प्रयोजन हेतु सेवानिवृत्ति सलाह सेवाओं से जुड़े विषयों के बारे में कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, रजिस्टीकरण के संसाधन और अनुदान अथवा छूट, जो भी लागू हो, के संदर्भ में,यदि ऐसी अपेक्षा की जाये, व्यक्तिगत अभ्यावेदन के लिए प्राधिकरण के समझ उपस्थित होगा।

6. **आवेदन पर विचार किया जाना और पात्रता मानदंड** .—प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण, ऐसे सभी विषयों को ध्यान में रखेगा, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने से संबंधित हैं और जिनमें मुख्यतः निम्न शामिल हैं :—

(क) क्या आवेदक चाहे वह एक व्यक्ति, निगमित निकाय अथवा एक रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फर्म अथवा संस्था अथवा न्यास हो, लागू विधि के अंतर्गत पंजीकृत है;

(ख) क्या आवेदक जो कि एक निगमित निकाय है, आवेदक के सभी अभ्यावेदक जो कि सेवानिवृत्ति सलाह उपलब्ध कराते हैं, विनियम 7 में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण रूपेण योग्य हैं और प्रामाणिक हैं;

(ग) क्या आवेदक स्वामित्व प्रतिष्ठान, कम्पनी, सीमित उपादेयताओं वाली साझेदार या संस्था या न्यास, स्वामित्वाधिकारकों अथवा सभी पणधारियों या न्यासियों की बहुलता या न्यास के सदस्य जो सेवानिवृत्ति सलाह देने में प्रवृत्त हैं, विनियम 7 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक और प्रामाणिक हैं।

(घ) क्या आवेदक के पास एक सेवानिवृत्ति सलाकार के कार्यकलापों का प्रभावशाली निर्वहन करने के लिए पर्याप्त आवश्यक बुनियादी ढांचा है।

(ड.) क्या आवेदक या आवेदक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मध्यवर्ती के रूप में या किसी कार्यों के संबंध में प्रमाण पत्र दिये जाने को नामंजूर किया गया है यदि हो तो उस इन्कार के क्या कारण थे।

(च) क्या आवेदक, उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध प्राधिकरण या किसी विनियामक प्राधिकरण या किसी सरकारी विभाग या किसी वित्तीय क्षेत्र की संस्था या किसी व्यवसायिक इकाई या संस्थान द्वारा संबंधित अधिनियम, नियमों या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोई अन्य कार्रवाई की गई है या ऐसा आवेदन किये जाने अथवा व्यक्ति को पिछले पांच वर्षों में किसी न्यायायिक अदालत द्वारा किसी आर्थिक अपराध, जिसमें नैतिक अद्यमता अंतर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध किया गया है;

(छ) कोई अन्य मापदंड जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया सके, जैसा कि वह अभिदाताओं के हित में उचित समझे।

7. **पात्रता और प्रमाणीकरण अपेक्षा** .—

(क) सेवानिवृत्ति सलाह देने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति, स्वत्वधारी, साझेदारों, न्यासियों, इन विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकार के प्रतिनिधियों, सदस्यों को हर समय न्यूनतम अर्हताएं जो कि किसी भी माध्यम में स्नातक है, बनाये रखना होगा, और

(ख) व्यक्ति और स्वत्वधारी, साझेदार, न्यासियों, सेवानिवृत्ति सलाहकारों के प्रतिनिधि और सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवानिवृति सलाह का प्रस्ताव करने वाले सभी व्यक्तियों के पास, हर समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिकृत संस्थान से सेवानिवृत्ति योजना निर्माण या सेवानिवृत्ति परामर्श सेवाओं पर वैध प्रमाणपत्र हो।

परन्तु यह है कि ऐसा प्रमाण पत्र निम्न मामलो में अनिवार्य नहीं होगा :

(i) भारतीय प्रतिभूति बोर्ड के साथ, उसके अपने विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किसी निवेश सलाहकार के मामले में

(ii) किसी प्रमाणिक वित्तीय योजनाकार (सीएफपी) या सह वित्तीय योजनकार (एएफपी) —फाइनेंसियल प्लानिंग स्टैंडर्डस बोर्ड इंडिया (एफपीएसबी इंडिया) द्वारा दिये गये सेवानिवृत्ति योजना प्रमाणीकरण/णों के मामले में।

(iii) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य मामला

परन्तु यह और कि प्रमाणीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर व्यवसायिक शिक्षा पूर्ण करने पर अधिकृत संस्थान से प्रमाणीकरण की वैधता अनवसित होने से पूर्व नया प्रमाणीकरण या विद्यमान प्रमाणीकरण का नवीनीकरण प्राप्त करना होगा।

IndiaCode

8.प्रतिभूति निक्षेप जमा.—(i) सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि एक निगमित निकाय या साझेदारी कम्पनी या कोई रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था है, अपना कारबार प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के समय रूपये एक लाख की बैंक निक्षेप या निष्पादन गारंटी के रूप में सुरक्षा राशि प्राधिकरण को जमा कराएगा। यह प्रतिभूति निक्षेप/गारंटी रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक या नई अवधि अनुदत्त होने के उपरांत छः माह की अवधि तक वैध रहेगा। ऐसा प्रतिभूति निक्षेप या गारंटी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की जाएगी और जहां कोई बैंक सेवानिवृत्ति सलाहकार की सेवाओं का प्रस्ताव करता है, तो प्रतिभूति निक्षेप किसी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा निर्गमित की जाएगी।

(ii) सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि कोई व्यक्ति या स्वामित्व प्रतिष्ठान का मालिक है, अपना कारबार प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के समय रूपये दस हजार की बैंक निक्षेप या निष्पादन गारंटी के रूप में सुरक्षा राशि प्राधिकरण को जमा कराएगा। यह प्रतिभूति निक्षेप/गारंटी रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक या नई अवधि अनुदत्त होने के उपरांत छः माह की अवधि तक वैध रहेगा।प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समयसीमा, अधिवर्धित न होने तक, यदि ऐसा जमा प्राप्त नहीं हेाता है तो रजिस्ट्रीकरण रद्द होना दायी होगा।

9. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाना .— प्राधिकरण द्वारा संतुष्टि होने पर कि आवेदक विनियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओ की संतुष्टि और अनुपालन करता है इस आशय की संसूचना आवेदक को भेजेगा और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरणफीस के संदाय की प्राप्ति होने पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अनुसरण के अध्यधीन, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा।

10. प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अवधि .—विनियम 9 के अंतर्गत अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इसके जारी किये जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा।

11. प्रमाण पत्र का नवीनीकरण .— (1) प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि के अवसान से तीन माह पूर्व, सेवानिवृत्ति सलाहकार, यदि ऐसी वांछा करें, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण को अनुदत्त किये जाने के लिए प्रपत्र क में आवेदन कर सकता है।

(2) उप विनियम 1 के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु किये गये आवेदन पर उसी रीति में विचार किया जाएगा जिस प्रकार विनियम 3 के उप विनियम (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने के लिए किये गये आवेदन पर किया जाता है।

परन्तु यह कि हालांकि प्राधिकरण, वास्तविक अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्य निष्पादन, खोले गये नये खातों सहित, पर भी विचार कर सकता है।

(3) उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने के मामले में, प्राधिकरण द्वारा, ऐसे आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विलम्ब फीस के साथ प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है। नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन, विद्यमान रजिस्ट्रीकरण की तारीख की अवसान तिथि से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) विद्यमान सेवानिवृत्ति सलाहकार को प्राधिकरण से ऐसा नवीनीकरण अनुदत्त करवाने का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा।

(5) प्राधिकरण, यदि वह उचित समझे, नवीनीकरण के समय किसी विद्यमान सेवानिवृत्ति सलाहकार को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी पात्रता संबंधी निबंधनों का समाधान करने से छूट दे सकता है और ऐसी छूट को किसी प्रकार के निबंधनों के सहित या बिना अनुदत्त किया जा सकेगा।

12. प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने से इंकार करने की दशा में प्रक्रिया .—**(1)** विनियम 3 के अंतर्गत किये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि आवेदक को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर किया जा सकेगा। आवेदन नामंजूर किये जाने से पूर्व प्राधिकरण आवेदक को विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर कमियों को दूर करने का यथोचित अवसर प्रदान कर सकता है।

(2) प्राधिकरण द्वारा आवेदन को नामंजूर किये जाने के निर्णय की संसूचना आवेदक को ऐसा विनिश्चय किये जाने के तीस दिनों के अपश्चात दी जाएगी।

(3) जहां प्राधिकरण द्वारा नवीनीकरण प्रमाणपत्र हेतु किये गये आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है आवेदक प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में कार्य करने से प्रविरत रहेगा।

परन्तु यह कि इन विनियमों में ऐसा कुछ भी अंर्तविलित नहीं है जो विधि के अधीन आवेदक को उससे जुड़े अभिदाताओं के संबंध में उसकी देयताओं को प्रभावित करेगा।

13. प्रमाण पत्र की शर्तें .—विनियम 9 के अंतर्गत अनुदत्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :—

(क) सेवानिवृत्ति सलाहकार अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के वैशिष्टय से आबद्धकर रहेगा।

(ख) सेवानिवृत्ति सलाहकार यदि प्राधिकरण को पूर्व में दिये गये महत्वपूर्ण विवरणों में से किसी जानकारी अथवा विवरण को मिथ्या या भ्रामक पाता है अथवा पूर्व में दी गई किसी जानकारी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, इसकी अविलम्ब सूचना प्राधिकरण को लिखित रूप में देगा।

(ग) सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने नाम के साथ 'सेवानिवृत्ति सलाहकार' शब्द को समविष्ट करेगा।

(घ) परन्तु यह कि यह यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार की सेवा एक पृथक रूप से अभिज्ञेय विभाग या प्रभाग या एक अधीनस्थ के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है तो ऐसा पृथक विभाग या प्रभाग या अधीनस्थ अपने नाम के साथ ' सेवानिवृत्ति सलाहकार' शब्द समाविष्ट करेगा।

14. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलम्बन और रद्दकरण किया जाना .—सेवानिवृत्ति सलाहकार को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित मामलों में निलम्बित, रद्द, संहरण या वापस लिया जाना , जैसा भी मामला हो, होना दायी होगा अर्थात यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार : —

(क) किसी ऐसी शर्तों का पालन करने में असफल रहता है जिसके आधार पर उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है;

(ख) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, उसके अधीन बनाये गये विनियमों के किन्ही उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतो या निर्देशों का उल्लंघन करता है या ;

(ग)सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्यपालन से संबंधित प्राधिकरण द्वारा यथाअपेक्षित कोई सूचना देने में असफल रहता है

(घ) प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन में असत्य या गलत जानकारी देता है या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है या प्रकट करने में विफल रहता है;

(ड) प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है;

(च) अभिदाताओं की शिकायतों का निराकरण करने में असफल रहता है या इसके संबंध में प्राधिकरण को समाधानप्रद रूप में उत्तर देने में असफल रहता है;

(छ) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी जांच में सहयोग नहीं करता है;

(ज) अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या उनके हितोंया सार्वजनिक हितके विरूद्ध रीति में कार्य करता है या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमिक विकास को प्रसारित नहीं करता या उक्त योजना का उल्लंघन करता है।

(झ) यदि उसके विरूद्ध किसी अभिकरण या प्राधिकरण ने कपट या वित्तीय अनुचित व्यवहार के संबंध में कोई जांच प्रारंभ की हो या उसके विरूद्ध किसी विनियामक इकाई या सरकार द्वारा अवरोधक, वर्जित, अभिनिषेधात्क या इस प्रकृति का कोई आदेश दिया गया हो या उस पर न्यायाधिकरण द्वारा आर्थिक अपराध या जिसमें नैतिक अधमता शामिल है के लिए दोषसिद्ध किया गया हो।

(ञ) कार्य या लोपों से संबंधित कोई अन्य गतिविधियां जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना या परिपत्र या मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जा सके।

15. सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा धारित की जाने वाली फीस .— **(1)** सेवानिवृत्ति सलाहकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने हेतु सेवानिवृत्ति सलाह और सुविधा उपलब्ध करायेगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अनुवर्ती सेवाओं को अभिप्राप्त करने में सहायता करेगा। सेवानिवृत्ति सलाह, योजना में बने रहने और अनुवर्ती सेवाओं या लेन–देन के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के अध्यधीन फीस प्रभारित कर सकेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक संभावित अभिदाता को शामिल करने के लिए उपरि सीमा एक सौ बीस रूपये होगी जिसमें प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा और प्राधिकरण द्वारा यथोचित परिपत्र/मार्गदर्शक सिद्धांतों/निर्देशों के निर्गम के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। ऑन बोर्डिंग फीस का भुगतान केवल पंजीकरण प्रक्रिया के पूर्ण होने/अभिदाता के ऑनबोर्ड होने और व्यष्टिक पेंशन खाता के सृजन के पश्चात आदेय होगा।

किसी प्रकार की अनुवर्ती सेवाओं के लिए, व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार, प्रति संव्यवहार पर बीस रूपये या अधिकतम सौ रूपये वार्षिक, जिसमें प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर, इस संबंध में जैसा कि यथोचित अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों,परिपत्रों या निर्देशों के परिनिर्गम के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जा सके, संशोधन किया जा सकेगा, को प्रभारित करने का हकदार होगा।

(2) एक संभावित अभिदाता या अभिदाता या समूह या संयुक्त अभिदाताओं के एक वर्ग को सलाह प्रदान कर रहे सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि एक व्यक्ति या एक कम्पनी या निगमित निकाय या कोई अन्य संस्था है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा यथोचित अधिसूचनाओं, मार्ग दर्शक सिद्धांतों, परिपत्रो या किसी अन्य निर्देशों यदि कोई हो के निर्गम के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली उपरि सीमा के अध्यधीनसलाहकार शुल्क प्रभारित कर सकता है।

ऐसे मामलों में, फीस, सेवानिवृत्ति सलाहकार और संभावित अभिदाता/अभिदाताओं के बीच लिखित करार के अनुसार आदेय होगी। इसके अतिरिक्त, एक सेवानिवृत्ति सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत सेवाओं के लिए अभिदाताओं के समूह सहित संभावित अभिदाता/अभिदाताओं से प्रभारित की जाने वाली फीस उचित, तर्कसंगत और सम्मेय है।

प्रदान की गई सेवा के लिए संकलित सभी प्रभारों और फीस को सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा उपयुक्त प्राप्तियां जारी कर सम्यक रूप से अभिस्वीकृत किया जाएगा।

16. सेवानिवृत्ति सलाहकार की निगरानी के लिए निकाय या निगमित निकाय.–

(1) सेवानिवृत्ति सलाहकार के कियाकलापों की निगरानी के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण किसी निकाय या निगमित निकाय को अभिज्ञात कर सकता है।

(2) प्राधिकरण , ऐसे निकाय या निगमित निकाय को स्वीकृति अनुदत्त किये जाने के समय ऐसे निकाय या निगमित निकाय को ऐसे निबंधनों और शर्तों जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके, सेवानिवृत्ति सलाहकार के पर्यवेक्षण और प्रशासन प्रत्यायोजित कर सकता है।

(3) प्राधिकरण यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी अभिज्ञात निकाय या निगमित निकाय का सदस्य न हो और ऐसे मामले में ऐसे निकाय या निगमित निकाय के इन विनियमों और उप विधियों या अनुच्छेदों के उपबंध ऐसे सेवानिवृत्ति सलाहकार पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

अध्याय ।।।

सामान्य दायित्व और उत्तरदायित्व

17. सामान्य दायित्व .–

(क)एक सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने अभिदाताओं/संभावित अभिदाताओं के मदे विश्वसनीय क्षमता के साथ कार्य करेगा और सभी प्रकार के हित संघर्ष जो भी और जब कभी भी उत्पन्न हो, को स्पष्ट करेगा।

(ख) एक सेवानिवृत्ति सलाहकार संभावित अभिदाताओं को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व के साथ गठजोड़ कर सकता है। सेवानिवृति सलाहकार को ऐसे व्यवस्थापन करने में उपस्थिति अस्तित्व की संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा परन्तु यह कि ऐसा करने से अभिदाताओं के हित, प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होते हों।

(ग) सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा राष्ट्रीय पेशन प्रणाली (एनपीएस) या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना, जिसके संबंध में सलाह दी जाती है, के अतिरिक्त संभावित या अभिदाता जिसे सलाह दी गई है को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक या किसी अन्य प्ररूप पर विचार नहीं करेगा।

(घ) सेवानिवृत्ति सलाहकार अभिदाता के पेंशन खाते में निवेश या अंशदान करने हेतु सेवानिवृत्ति सलाहकार की क्षमता की रूप में किसी प्रकार की राशि का संकलन नहीं करेगा।

(ङ) सेवानिवृत्ति सलाहकार संभावित अभिदाता या अभिदाता को पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र, निकास प्रपत्र, विभिन्न अन्य प्रपत्र अपेक्षित उपांतरण या व्यक्तिगत मुख्य विवरणों, उपस्थिति अस्तित्व, पेंशन निधि, निवेश विकल्प में परिवर्तन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं के अधीन संबंधित अन्य गतिविधियों के संबंध में सलाह देगा।

(च) सेवानिवृत्ति सलाहकार अभिदाता को आवधिक आधार पर पेंशन निधियों के कार्यप्रदर्शन, अधीनस्थ आस्ति पोर्टफोलियो , एनएवी, सामान्य वित्तीय बाजार रूझान या अन्य सुसंगत जानकारी ई मेल, सूचनापत्रों या विनिर्दिष्ट माध्यमों के द्वारा उपलब्ध करायेगा।

(छ) सेवानिवृत्ति सलाहकार अभिदाता को विभिन्न नीतियों एवं प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास सहित, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत मध्यवर्तियों से संबंधित अन्य जानकारी को एक आवधिक आधार पर उपलब्ध करायेगा।

(ज) एक सेवानिवृत्ति सलाहकार अपनी अन्य गविविधियों और एक सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में उसकी गतिविधियों के मध्य पर्याप्त अंतर बनाये रखेगा।

(झ) एक सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि सेवानिवृत्ति सलाहकारीय सेवा के अतिरिक्त भी अन्य गतिविधियों में शामिल है यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवानिवृत्ति सलाह सेवाएं उसकी सभी अन्य गतिविधियों से स्पष्ट रूप से पृथक रहे।

(ञ) सेवानिवृत्ति सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य गतिविधियों के साथ सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों के हितों के संघर्ष के किसी मामले में, ऐसे हितों के संघर्ष के बारे में संभावित अभिदाताओं या अभिदाताओं पहले ही सुस्पष्ट करेगा।

(ट). सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने संभावित या अभिदातों की गोपनीय जानकारी, जो उसके संज्ञान में आयी हो, बिना संभावित या अभिदाता की अनुमति के, सिवाय कि ऐसा प्रकटीकरण किया जाना प्रचलित किसी कानून के अनुपालन के तहत अपेक्षित हो, के अतिरिक्त प्रकट नहीं करेगा।

(ठ) एक सेवानिवृत्ति सलाहकार प्राधिकरण द्वारा समय समय पर यथाविनिर्दिष्ट ' अपने ग्राहक को जाने' प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(ड) सेवानिवृत्ति सलाहकार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आचार संहिता से आबद्धकर रहेगा।

(ढ) सेवानिवृत्ति सलाहकार कंपनी नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में समयबद्ध सूचना प्राधिकरण को देगा।

(ण) सेवानिवृत्ति सलाहकार सूचना या रिपोर्टों को जैसा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकरण को देगा।

(त) सेवानिवृत्ति सलाहकार का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके प्रतिनिधि और साझेदार, सभी समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन को, जैसा लागू हो, का अनुपालन करेंगे।

18. कार्यक्षेत्र.– एक सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा निम्न कृत्यों को किया जाएगा :

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजनाओं के संबंध में जागरूकता पैदा करना सेवानिवृत्ति सलाहकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होगा।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना में संभावित अभिदाताओं को शामिल होने के लिए सहायता प्रदान करना।

(iii) संभावित अभिदाताओ को वृद्धावस्था आय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति योजना निर्माण, उनके द्वारा किये जा सकने वाले अंशदान के स्तर, वांछित सेवानिवृत्ति उद्देश्यों को हासिल करने के उनके वर्तमान और भविष्य की संभावित आय के संबंध में और इन निर्णयों को लेने से संबंधित अन्य मुद्दों और कपटपूर्ण विक्रय की संभावनाओं से बचने हेतु परामर्श देना।

(iv) संभावित अभिदाताओं और अन्य अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति बचत हेतु योजना निर्माण में सहायता देना।

(v) सेवानिवृत्ति सलाहकार से संभावित अभिदाताओं के साथ व्यवहार के दौरान व्यवसायिक सम्यक सावधानी का निष्पादन अपेक्षित है और इस संदर्भ में आवश्यक दक्षता का होना अपेक्षित है।

(vi) सेवानिवृत्ति सलाहकार संभावित अभिदाताओं के साथ व्यवहार के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध करायेगा, जो उन्हें ज्ञात संव्यवहारक निर्णय लेने में सहायक होगा और इस प्रयोजनार्थ संभावित/अभिदाताओं के हितों को अग्रणी बनाये रखेगा।

(vii) सेवानिवृत्ति सलाहकार,संभावित अभिदाताओं या अभिदाताओ को, उनके निम्न पहलुओं पर विचार करते हुए और सर्वोच्च बेहतर निष्ठा और साफ–सुथरी बाजार व्यवस्थाओं के आधार पर सबसे उपयुक्त योजना का संकलन और परामर्श देना अपेक्षित है।

(क) संभावित अभिदाता की मूलभूत जानकारी जैसा कि आयु, वैवाहिक स्थिति, निभर्रता, वर्तमान आस्तियां, देयताएं, आय, खरीद योजना, सेवानिवृत्ति आय योजना, सेवानिवृत्ति के पश्चात की योजनाएं, पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास और दीर्घायु और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित जानकारी को संग्रहित करते हुए सर्वोत्तम उत्पाद की खरीद हेतु संभावित अभिदाता की आवश्यकताओं पर सम्यक तत्परता बरतना।

(ख) संभावित अभिदाता की वित्तीय और सेवानिवृत्ति लक्ष्यों को चिन्हित करना।

(ग) संभावित अभिदाता की वर्तमान वित्तीय प्रास्थिति और वर्तमान निवेशों का विश्लेषण करना

(घ) संभावित अभिदाता या अभिदाता का जोखिम पृष्ठभूमि

(ङ.) आस्ति आबंटन

(च) निवेश आबंटन रणनीति

(छ) आवधिक निगरानी और संतोलन

(ज) स्वयं अथवा परिवार की तत्कालीन और सन्निकट भविष्य की वित्तीय प्रतिबद्धताओं की संभाव्यता।

(viii) सेवानिवृत्ति सलाहकार अभिदाता को प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने में, अंशदान, निवेशों के आबंटन और पेंशन निधियों के चयन के बारे में आसान निर्णयों को लेने में सहयोग करते हुए, समर्थ करेगा।

(ix) सेवानिवृत्ति सलाहकार निगमों और सरकारी विभागों के साथ उनके कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजनाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु सहभागी होगा।

(x) सेवानिवृत्ति सलाहकार संभावित अभिदाता की रूपरेखा और विद्यमान बाजार परिस्थितियों, और वित्तीय बाजार और अर्थव्यस्था के विभिन्न मानदण्डों में संभावित वृद्धि पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात विभिन्न वित्तीय प्रतिभूतियों के जोखिम और प्रतिलाभ के बारे में समुचित रूप से मागदर्शन करने और परामर्श देने और साथ ही प्रत्येक आस्ति वर्गों यथा – इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों, निगम ऋणपत्रों में निधि आबंटन के सबसे उपयुक्त अनुपात के बारे में भी, सलाह देने में समर्थ होगा। सेवानिवृत्ति सलाहकार किसी आस्ति के प्रदर्शन हेतु किसी प्रकार की गांरटी धारित नहीं करेगा।

(xi) सेवानिवृत्ति सलाहकार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध और स्वीकृत जानकारी के आधार पर, पेंशन निधि द्वारा किये गये निवेशों और योजना के प्रतिलाभों की तुलना सहित पेंशन निधि के प्रदर्शन पर जागरूकता उत्पन्न कर सकता है।

(xii) सेवानिवृत्ति सलाहकार मध्यवर्तियों को एक समयबद्ध रीति में जानकारी और दस्तावेजों को पारेषित करेगा,और अभिदाताओं से संकलित व्यक्तिगत जानकारी की सभी समय पर सर्वोच्च गोपनीयता बनाये रखेगा और अभिदाता की सहमति लिये बिना उसका उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा।

19. जोखिम पृष्ठभूमि.– सेवानिवृत्ति सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) वह संभावित अभिदाता या अभिदाता से ऐसी जानकारी जो कि सेवानिवृत्ति सलाह देने के प्रयोजनार्थ अपरिहार्य है, जिनमें निम्न समाविष्ट है :–

(i) आयु

(ii) आय विवरण

(iii) विद्यमान सेवानिवृत्ति बचत/आस्तियां

(iv) जोखिम वहन क्षमता/सहनशीलता

(v) देयताएं/ऋण विवरण

(vi) परिवार के आश्रित सदस्य

(vii) जीवन/स्वास्थ्य बीमा विवरण

(viii) अन्य संबंधित जानकारी

जोखिम पृष्ठभूमि पत्र जैसा कि अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किया गया है यथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर संशोधित, अभिप्राप्त करेगा ।

(ख) वह जोखिम निर्धारण हेतु एक प्रक्रिया का पालन करता है जिसे एक संभावित अभिदाता या अभिदाता उठाने की वांछा रखता है और समर्थ है, यथा

(i) आमेलक हानि हेतु संभावित अभिदाता की क्षमता का मूल्यांकन

(ii) इस बात का निर्धारण करना कि क्या संभावित अभिदाता निवेश प्रक्रिया में निहित बाजार जोखिम की अवधारणा को समझने की स्थिति में है।

(iii) संभावित अभिदाता को प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं की उपयुक्त व्याख्या करना और निश्चित उत्तरों पर अनपर्युक्त भार आरोपित न करना।

(iv)यह समझने और मूल्यांकित करने में समर्थ होना कि सेवानिवृत्ति योजनाएं जिनमें दीर्घकालीन निर्माण पूर्व अवधि, और योजना से शीघ्र तरलता या निकास शामिल है, लाभप्रद नहीं है।

(ग) जहां साधनों का इस्तेमाल जोखिम पृष्ठभूमि के लिए किया जाता हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साधन प्रयोजन हेतु उचित हो और सीमाएं निर्धारित हो और कम हो।

(घ) जोखिम स्थापना, जिसे संभावित अभिदाता वहन करने की वांछा रखता है और समर्थ है, हेतु प्रयुक्त किसी प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न या विवरणी निष्पक्ष, स्पष्ट और भ्रमपूर्ण न हो और यह सुनिश्चित करेगा कि

(i) प्रश्नावली अस्पष्ट नहीं है या दोहरी नकारात्मकता का इस्तेमाल न हो या ऐसे जटिल भाषा में न हो जिसे संभावित अभिदाता नहीं समझ सकता हो।

(ii) प्रश्नावली ऐसे रीति में संरचित न हो जिसमें भ्रमपूर्ण प्रश्न हो।

(ङ) संभावित अभिदाता की जोखिम पृष्ठभूमि का निर्धारण हो जाने पर, उसे संभावित अभिदाता को संसूचित कर दिया जएगा।

(च) जोखिम निर्धारण को संभावित अभिदाता या अभिदाता द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवधिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।

20. संभावित अभिदाता/अभिदाताओं को प्रकटीकरण .–

(क) सेवानिवृत्ति सलाहकार संभावित अभिदाता को, अपने सभी व्यवसाय, शैक्षणिक इतिहास, व्यवसायिक अर्हताओं सहित उसके बारे में सभी वास्तविक जानकारी, अनुशासनात्मक कार्रवाई इतिहास वे शर्तें और नियम जिन पर वह सलाहकार सेवाएं प्रस्तुत करेगा, अन्य मध्यवर्तियों के साथ संबद्धीकरण और ऐसी अन्य जानकारी जो कि उसकी सेवाएं लेने और न लेने के ज्ञात निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है, का प्रकटीकरण करेगा।

(ख) सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने संभावित अभिदाता को किसी भी विचारण चाहे वह पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति या किसी अन्य रूप में, जैसा भी हो, उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्तयोग्य का प्रकटीकरण करेगा।

(ग) सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने संभावित अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी योजना के अधीन किसी मध्यवर्ती के साथ या के संबंध में उत्पन्न हुए किसी भी वास्तविक या संभावित हितो के टकराव जिसमें ऐसी वास्तविक

IndiaCode

जानकारी या तथ्य जो कि सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं के निष्पादन मे उसकी वस्तुनिष्ठता या स्वतंत्रता को जोखिम में डाल सकता है, समाविष्ट है, का प्रकटीकरण करेगा।

(घ) सेवानिवृत्ति सलाहकार परामर्श देते हुए संभावित अभिदाता को सेवाओं की मुख्य विशेषताओं से संबंधित या विशेष रूप से उत्पाद या प्रतिभूतियों, विभिन्न पेंशन निधियों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न निवेश आस्ति वर्गों और वार्षिकी योजनाओं के कार्यनिष्पादन अभिलेखों से संबंधित वास्तविक जानकारी का पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा।

(ङ) सेवानिवृत्ति सलाहकार संभावित अभिदाता का ध्यान निवेश विकल्प और वार्षिकी विकल्प जिसकी वह संभावित अभिदाताओं या अभिदाताओं के लिए संस्तुति कर रहा है, से संबंधित प्रचार सामग्री, दस्तावेजों में चेतावनियों, अस्वीकरणों, की ओर करायेगा।

(च) सेवानिवृत्ति सलाहकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को किसी अन्य उत्पादों के साथ किसी गठजोड़ या अन्य वित्तीय उत्पाद के साथ संसर्ग में प्रस्ताव न होने या सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा उपलब्ध सेवाओं के बारे में संसूचित करेगा।

(छ) सेवानिवृत्ति सलाहकार किसी प्रकार का वक्तव्य देने से जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण की छवि को किसी रूप में अपमानित या अप्रतिष्ठित या विकृत करता हो, से परहेज करेगा।

21. अभिलेखों को बनाये रखा जाना.—

(क) सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा निम्न अभिलेखों :—

(i) संभावित अभिदाताओं/अभिदाताओं के अपने ग्राहक को जाने अभिलेखों को

(ii) जोखिम पृष्ठभूमि पत्र जैसा कि चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है यथा प्राधिकरण द्वारा समय—सयम पर संशोधित, सम्यक रूप से भरा हुआ और संभावित अभिदाता/अभिदाता के साथ और अभिदाता द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की प्रतियां, यदि कोई हो

(iii)एक रजिस्टर या संभावित अभिदाताओं या अभिदाताओं की अभिलेख अंतर्विष्ट सूची, परामर्श की तिथि, प्रभारित फीस, ऐसे परामर्श के लिए यदि कोई हो

(iv) कोई अन्य दस्तावेज या अभिलेख, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जा सके।

(ख) अभिलेखों को भौतिक और इलैक्ट्रोनिक प्रारूपों में ऐसी रीति मे बनाये रखा जायेगा जो प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब कभी भी अपेक्षित हो, प्राप्त किया जा सके।

(ग) सेवानिवृत्ति सलाहकार, किसी व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार के सिवाय प्राधिकरण द्वारा सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं के लिए यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक राशि का फीस के रूप में वसूल कर रहा है, इन विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटस ऑफ इंडिया के किसी सदस्य से वार्षिक संपरीक्षा आरंभ करेगा। परन्तु यह कि किसी बैंक द्वारा सेवानिवृत्ति सलाह प्रस्तुत करने के मामले में ऐसा बैंक की वैधानिक संपरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा।

22. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति .—सेवानिवृत्ति सलाहाकर जो कि निगमित निकाय या साझेदार कंपनी या कोई रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था है, एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, निर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा को पालन किये जाने को करने के लिए उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए, अनुपालन का दायित्व ऐसे व्यक्ति का होगा जिसके नाम पर प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है।

23. शिकायतों का निवारण .—

(क) सेवानिवृत्ति सलाहाकार अभिदाताओं की शिकायतों का शीघ्रता से निवारण करेगा।

(ख) सेवानिवृत्ति सलाहकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 समय—समय पर यथासंशोधित के उपबंधों से बाध्य और आबद्धकर करेगा।

24. निष्पादन सेवाओं का पृथक्करण :—

सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि बैंक, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीएस) और निगमित निकाय हैं, अपने संभावित अभिदाताओं सेवाओं का वितरण और निष्पादन करता है, अपनी सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं को अन्य गतिविधियों से पृथक बनाये रखेगाः

परन्तु यह कि सेवाओं का ऐसा वितरण और निष्पादन निम्न के अध्यधीन प्रस्तुत किया जा सकेगा :

(क) संभावित अभिदाता, सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा प्रस्तुत सेवा निष्पादन और वितरण को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से आबंध नहीं होगा।

(ख) सेवानिवृत्ति सलाहकार , सेवानिवृत्ति सलाहकार की अपनी गतिविधियों और सेवाओं के निष्पादन और वितरण के मध्य पर्याप्त दूरी का संबंध बनाये रखेगा।

(ग) संभावित अभिदाता द्वारा सेवा निष्पादन या वितरण प्रदाता को सभी प्रकार की फीस और शुल्कों का संदाय सेवानिवृत्ति सलाहकार के माध्यम न करके सीधे सेवा प्रदाताओं को किया जाएगा।

(घ) सेवानिवृत्ति सलाहकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का उपयोग करने की पूर्ववर्ती शर्त के अनुसार अभिदाता को किसी भी रीति में उसकी सेवाएं लेने के लिए बाध्य या विवश नहीं करेगा और प्राधिकरण की बिना अनुमति के किसी प्रकार की सुगठित सेवाओं का प्रस्ताव नहीं करेगा।

अध्याय IV

निरीक्षण

25. प्राधिकरण का निरीक्षण संबंधी अधिकार .—(1) प्राधिकरण स्वतः संज्ञान से या जानकारी या शिकायत प्राप्त होने पर एक या अधिक व्यक्तियों को निम्न कारणों में से किसी के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है नामत :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में बनाये रखा है

(ख) अभिदाताओं या किसी अन्य व्यक्तियों की ओर से, सेवानिवृत्ति सलाहाकर की गतिविधियों से संबंधित किसी विषय प्राप्त शिकायतों के निरीक्षण के लिए

(ग) यह सुनिश्चित करना के लिए कि क्या सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा अधिनियम और इन विनियमों का पालन किया जा रहा है,

(घ) पेंशन सेक्टर या अभिदाताओं के हित में सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्यकलापों की जांच करने के लिए

(2) बैंक द्वारा सेवानिवृत्ति सलाह प्रस्तुत किये जाने के संबंध में, उपविनियम (1) के अंतर्गत यथा निहित संपरीक्षा की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने, जैसा अपेक्षित हो, का अनुरोध कर सकता है।

26. निरीक्षण के पूर्व सूचना.—(1) विनियम 25 के अधीन कोई निरीक्षण करने के पूर्व प्राधिकरण सेवानिवृत्ति सलाहकार को दस कार्य दिवस की सूचना देगा :

(2) उप विनियम (1) में अंतर्निहित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परंतु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाताओं के हितों की तत्काल रक्षा के लिए ऐसी किसी सूचना को नहीं दिया जाना चाहिए, वह लिखित रूप में एक आदेश के द्वारा ऐसे किसी सूचना के बिना सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

(3) निरीक्षण की अवधि के दौरान, सेवानिवृत्ति सलाहकार जिसका निरीक्षण या लेखापरीक्षा की जा रही है, विनियम 25 में अधीन यथा उपबंधित अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगा।

27. सेवानिवृत्ति सलाहकार की निरीक्षण संबंधी बाध्यताएं.—

(1) सेवानिवृत्ति सलाहकार, जिसके संबंध में विनियम 25 के अंतर्गत निरीक्षण करने संबंधी आदेश दिया गया है और कोई अन्य संबंधित व्यक्ति जिसके आधिपत्य मेंऐसे सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्यकलापों और व्यहार से संबंधित सुसंगत जानकारी हो,सेवानिवृत्ति सलाहकार के प्रतिनिधि सहित, यदि कोई हो, का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में की पुस्तकों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों और ऐसे विवरण और सूचना को निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करे जैसा कि निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के प्रयोजनार्थ अपेक्षा की जाये।

(2) प्रत्येक सेवानिवृत्ति सलाहकार और कोई अन्य व्यक्ति जिसके आधिपत्य में सेवानिवृत्ति सलाहकार के व्यवहार और कार्यकलापों से संबंधित सुसंगत जानकारी हो, जांचकर्ता प्राधिकारी को ऐसी सभी सहायता और ऐसे सभी सहयोग, जैसा कि निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित हो, और निरीक्षण के संबंध में जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा मांगी गई ऐसी जानकारी, उपलब्ध करायेगा।

(3) जांचकर्ता प्राधिकारी, के पास निरीक्षण के प्रयोजनार्थ किसी भी कर्मचारी, निदेशकों, साझेदारों या सेवानिवृत्ति सलाहकार की संक्रियाओं से संबंधित या के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कोई अन्य ऐसा सहभागी जिसके पास ऐसे सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित सुसंगत जानकारी हो, के हलफनामों और विवरणों के अभिलेखों की जांच करने की शक्ति होगी।

(4) जांचकर्ता प्राधिकारी के पास, निरीक्षण के प्रयोजनार्थ सेवानिवृत्ति सलाहकार के दस्तावेजों, पुस्तकों, खातों, किसी व्यक्ति से जिसके नियंत्रण या अभिरक्षा में ऐसे दस्तावेज, पुस्तक या खाते हों, की अधिप्रमाणित प्रतियों को हासिल करने की शक्ति होगी।

28. प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना .—

जांचकर्ता प्राधिकारी, निरीक्षण सम्पूर्ण होने पर यथाशीघ्र संभव हो, एक निरीक्षण रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगाः परन्तु यह कि यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निर्देशित हो, निरीक्षण प्राधिकारी एक अंतरिम रिपोर्ट जमा करा सकता है।

Indiacode

29. निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई.—प्राधिकरण, निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और सेवानिवृत्ति सलाहकार (रों) या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात निम्न सहित ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अभिदाताओं के क्रमबद्ध विकास में उचित समझे,—

(क) सेवानिवृत्ति सलाहकार को एक विशिष्ट अवधि के लिए सेवानिवृत्ति सलाह न देने की अपेक्षा करना।

(ख) सेवानिवृत्ति सलाहकार से फीस, प्रभारों या अन्य प्रकार से संबंधित अभिदाताओं से संकलित धनराशि को अपेक्षित ब्याज और क्षतिपूर्ति जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित किया जा सके, की वापसी की अपेक्षा करना। अभिदाता (ओं) को सेवानिवृत्ति सलाहकार के किसी कार्य या लोपों के कारण हुए नुकसान के मामले में, प्राधिकरण सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा जमा कराये गयी कार्यनिष्पादन गारंटी का इस्तेमाल कर सकेगा और सेवानिवृत्ति सलाहकार को प्राधिकरण द्वारा बनाई गई दंड संहिता के अतिरिक्त पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,2013 के प्रावधानों और लागू विनियमों के अनुसार उल्लंघन की सीमा और उल्लंघन के स्तर को ध्यान में रखते हुए अभिदाता (ओं) की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

(ग) सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में परिचालन करने से ऐसी अवधि जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सके, के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार को प्रविरत करना।

अध्याय V

व्यतिक्रम की दशा में प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त करना

30. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलम्बन या निरस्त करना (1)प्राधिकरण की किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसे प्राधिकरण द्वारा किया जा सके, सेवानिवृत्ति सलाहकार को अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण निन्न किसी भी स्थिति में निलम्बित, निरस्त या वापस लिये जाने के लिए दायी होगा, नामत :—

(क)किसी शर्तों या निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है जिसके आधार पर उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है,

(ख)अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के किन्ही उपबंधों का या जारी किये गये किन्ही मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं, निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों का उल्लंघन करता है,

(ग)स्वेच्छा से प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त किये गये प्रमाण पत्र को वापस करने का अनुरोध करता है,

(घ)एक रिसीवर, रिसीवर प्रबंधक, प्रशासक या समान व्यक्ति को सेवानिवृत्ति सलाहकार के उद्यमों या आस्तियों के संबंध में नियुक्ति करता है,

(ङ)सेवानिवृत्ति सलाहकार

(i) परिसमापन हो जाता है (प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लिखित अनुमोदित शर्तों पर पुनर्गठन अथवा विलयन के उद्देश्य के अतिरिक्त),

(ii) कारोबार बंद कर देता है,

(iii) पंजीकरण के किसी नियम या शर्त के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा दिये गये प्रतिनिधित्व,वारंटी अथवा उदघोषणा का निष्पादन अथवा अनुपालन करने मे विफल रहता है अथवा प्राधिकरण से लिखित रूप में नोटिस मिलने से दस कार्य दिवसों में ऐसे उल्लंघन या भूल को ठीक नहीं कर पाता है,

(iv) अपना कारबार ऐसी रीति में करता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो,

(v) प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी जांच में सहयोग नहीं करता है,

(vi) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य पेंशन स्कीम के तहत कारोबार में हेरफेर आलिप्त रहता है,

(vii) अनुचित कारबारी गतिविधियों में आलिप्त रहता है,

(च) यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार , प्राधिकरण की राय में, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये भ्रष्ट या छलपूर्ण कार्य करता है या उसे किसी सरकारी प्राधिकरण या विनियामक द्वारा कालीसूची में डाला गया है या उसके विरूद्ध निरोधात्मक, निष्कासन, निषेधात्मक या ऐसी प्रकृति का कोई आदेश जारी किया गया हो या सेवानिवृत्ति सलाहकार या उसके किसी प्रधान अधिकारी पर न्यायाधिकरण द्वारा आर्थिक अपराध करने जिनमें नैतिक अधमता भी शामिल है के लिए दोषिसिद्धि किया गया हो,

(छ) यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार प्राधिकरण को झूठा बयान या सूचना प्रस्तुत करता है जिसका वस्तुगत प्रभाव प्राधिकरण या अभिदाताओं के अधिकारों, दायित्वों या हितो पर पड़ता है,

(ज) यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है,

IndiaCode

(झ) यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार प्राधिकरण द्वारा उसके कारोबार से संबंधित यथा अपेक्षित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता है,

(ञ) यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार के स्वामित्व, प्रबंधन या प्रमुख अधिकारियों में कोई बदलाव होता है जिससे प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,

(ट) निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में निरंतर और उल्लेखनीय ढंग से या अन्य सेवानिवृत्ति सलाहकारों की तुलना में निम्न कार्य प्रदर्शन

(ठ) ऐसी रीति में कार्य करना जो अभिदाताओं के हितो के प्रतिकूल हो।

(ड) प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी जांच में सहयोग नहीं करता है,

(ढ़) अधिनियम की धारा 28 के तहत यथा निर्दिश्ट कोई व्यतिक्रमपूर्ण कार्य करता है,

(ण) कोई अन्य कारण, जो प्राधिकरण की राय में अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलम्बन, रद्दकरण या वापस लेने का समुचित आधार हो,

(2) प्राधिकरण उप–विनियम (1) के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने या निलंबित करने के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों को इस प्रकार सत्यापित या उपांतरित करने का निर्देश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो अभिदाताओ के हित में लाभप्रद समझे।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन, निरस्तीकरण या वापस लेने संबंधी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को इन विनियमों के अनुसार जांच के अंतर्गत सुनवाई का उपयुक्त अवसर नहीं दिया जाये।

(4) ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं जिन्हें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किये बिना या जिनके मामलों में प्रमाणपत्र अपेक्षित न हो, को विनियम 4 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित गतिविधियों को आरंभ करने हेतु अनुज्ञात किया गया है, ऐसी कार्रवाई जिसमे सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रस्तुत करने से अवरोध, प्रतिनिषेध या निलम्बन शामिल है, के लिए दायी होगा।

31. प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण का प्रभाव .–(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलम्बन, रद्दकरण या अभ्यर्पण किये जाने की तारीख से ही संबंधित सेवानिवृत्ति सलाहकार :–

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा अन्य पेंशन स्कीमों, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत कोई नया लेनदेन करने से प्रविरत रहेगा।

(ख) आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना के बारे में जो सेवानिवृत्ति सलाहकार की अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, एक निर्धारित समयसीमा में और इस प्रकार ऐसी रीति में जो सुसंगत विनियमों के तहत अपेक्षित हो या प्राधिकरण द्वारा जैसा निर्देश दिया जा सके, कार्रवाई करेगा।

(ग) आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना को जो उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, अन्य सेवानिवृत्ति सलाहकार को प्राधिकरण द्वार निर्दिष्ट ऐसी रीति और प्ररूप में अपने व्यय पर अंतरित करेगा।

यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी सुसंगत दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना का अंतरण प्राधिकरण द्वारा निर्दिश्ट निर्देषों के अनुरूप हो। सेवानिवृत्ति सलाहकार की ओर से किसी भी प्रकार का असहयोग या गैर समर्थन या अवरोध सेवानिवृत्ति सलाहकार को शास्ति अधिरोपण के लिए दायी होगा।

(घ) सेवानिवृत्ति सलाहकार तब तक प्राधिकरण के निदेषों का अनुपालन करेगा जब तक सभी अंतरण या कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती या जब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित रहता है।

32. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति.– (1) जहां अभिहित सदस्य को यह प्रतीत होता है कि किसी सेवानिवृत्ति सलाहकार जिसे अधिनियम, इन विनियमों या के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विनियम 32 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की चूक की गई है वहां वह मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को या किसी समतुल्य श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) किसी ऐसे अधिकारी की, जिसने अभिकथित अतिक्रमण की बाबत अन्वेशण या निरीक्षण किया है, अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

33. सूचना का जारी किया जाना .– (1) अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसा करने के युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है, तो वह सेवानिवृत्ति सलाहकार या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को, उससे इस बात का कारण दर्षित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यो न उसे अनुदत्त किए गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलम्बित या रद्द कर दिया जाये या क्यों न उसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई की जाये, एक सूचना जारी करेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किये गये अभिकथित अतिक्रमण को, अधिनियम, विनियमों, निर्देषों या परिपत्रों के उन उपबंधों को उपदर्षित करते हुए, जिनकी बावत अतिक्रमण करने का अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका अभ्यारोपण करने में अवलम्ब लिया गया है और दस्तावेजों के सुसंगत भाग के उद्धरण, ऐसी रिपोर्ट, जिनमें किये गये अन्वेशण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में दिये गये निश्कर्श अंतर्विष्ट हो, उपाबद्ध की जाएंगी।

(4) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी, अभिहित प्राधिकारी को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

34. सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर.— (1) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अभिहित प्राधिकारी को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन, उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगा।

परन्तु अभिहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्षित पर्याप्त आधारों के आधार पर और ऐसे विस्तार के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकेगा।

(2) यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समय के भीतर कारण बताओ सूचना का उत्तर नहीं देता है, तो अभिहित प्राधिकारी मामाले में, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई कर सकेगा और समक्ष उपलब्ध सारवान तथ्यों के आधार पर ऐसा करने की सिफारिष कर सकेगा।

35. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई .—अभिहित पदाधिकारी, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हो, मामले के तथ्यों और परिस्थतियों तथा अधिनियम, विनियमों के लागू प्रावधानों, प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों या परिपत्रों पर विचार करने के पश्चात, जहां तथ्यों से यह अपेक्षित हो, वहां निम्नलिखित की सिफारिष करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा —

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलम्बन

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण

(ग) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को काई नया कार्य, संविदा प्राप्त करने या नवीन स्कीम प्रारंभ करने से प्रतिषिद्ध करनाः

(घ) सूचना प्राप्त करने व्यक्ति के प्रधान अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती के साथ नियोजित या उसके सहयोजित होने से विवर्जित करनाः

(ङ) आवश्यक समझे जा सकने वाली अन्य शर्तों, प्रतिबंधों या अनुपालन को सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति या उसे प्रधान अधिकारी या अन्य अधिकारी या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति पर अधिरोपित करना ;

(च) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देना ;

36. सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया .— (1) अभिहित प्राधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित सदस्य पर उस पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक कारण बताओं सूचना, जिसके साथ अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न होगी और जिसमें सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस बारे में कि उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत समुचित निर्देश पारित करना भी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, जारी करेगा।

(2) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिहित सदस्य को एक उत्तर भेजेगा जो उस उत्तर पर, यदि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, विचार करने और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, यथासंभव शीघ्रता से समुचित आदेश पारित कर सकेगा और सूचना का उत्तर प्राप्त होने या सुनवाई की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास किया जाएगा।

(3) अभिहित सदस्य, जहां प्रश्नगत विषयवस्तु सारवान रूप से समान या समरूप प्रकृति की है, सूचना प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों के संबंध मे एक समान आदेश पारित कर सकेगा।

37. आदेश की संसूचना.— **(1)** इन विनियमों के अधीन किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट और अभिहित सदस्य द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश, तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा।

(2) इन विनियमों के अधीन पारित आदेश की प्रति सेवानिवृत्ति सलाहकार या संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

38. शास्ति और न्यायनिर्णयन.— सेवानिवृत्ति सलाहकार या किसी संबंधित अन्य व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण, यदि कोई हो, अधिनियम और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्याय निर्णायक द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

39. प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील.— सेवानिवृत्ति सलाहकार या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति, यदि अभिहित सदस्य द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट है, तो वह अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, –

(क) ''अभिहित प्राधिकारी'' विनियम 32 के उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) '' अभिहित सदस्य '' प्राधिकरण का तत्प्रयोजनार्थ अध्यक्ष या कोई पूर्ण–कालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) ''सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना जारी की गई है।

अध्याय VI

विविध

40. प्राधिकरण की स्पष्टीकरण इत्यादि जारी करने की शक्ति .– इन विनियमों के लागू किये जाने या उनके निर्वचन में की किन्ही कठिनाइयों को दूर करने के लिए या किसी अन्य विषय के लिए, प्राधिकरण को टिप्पण या परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति होगी जो सेवानिवृत्ति सलाहकार या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर बाध्यकर होंगे।

41. प्राधिकरण की विनियम 16 के अधीन अभिज्ञात संस्था के संबंध में शक्ति .– प्राधिकरण के पास विनियम 16 के अंतर्गत अभिज्ञात संस्था द्वारा लिये गये किन्ही निर्णयों, कार्रवाई को उपांतरित, परिवर्तित और निष्प्रभाव करने का अधिकार होगा।

42. प्राधिकरण की निर्देश जारी करने की शक्ति .– (1) इन विनियमों के अधीन जारी किसी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित में या सेवानिवृत्ति सलाहकार के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्देश जिसे प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, जारी कर सकेगा।

परंतु प्राधिकरण कोई निदेश जारी करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगाः

परंतु इसके अतिरिक्त यदि परिस्थितियों के कारण कोई अंतरिम निदेश शीघ्र जारी करना अपेक्षित हुआ तो प्राधिकरण निर्देश जारी करने के बाद शीघ्र ही संबंधित व्यक्ति को बिना किसी सम्यक विलम्ब के, अपना पक्ष रखने के लिये उपयुक्त अवसर देगा।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/असा./142]

IndiaCode

प्रथम अनुसूची

प्रपत्र क

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

(विनियम 3 और 11 देखें)

सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने हेतु आवेदन

पीएफआरडीए, बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवरिया सराय, नई दिल्ली – 110056

निर्देश

1.यह प्रपत्र आवेदक द्वारा, सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने के लिए उपयोग हेतु नियत है।

2. आवेदक इस प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर, सहयोगी दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण को इसके नई दिल्ली अवस्थित मुख्यालय पर जमा कराया जाना चाहिए।

3. आवेदन प्रपत्र को इन विनियमों के अनुरूप ही दर्ज कराया जाना चाहिए।

4. आवेदन पर, यदि वह सभी आयामों में पूर्ण है, प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

5. सभी जानकारी सुस्पष्ट/सुपाठ्य होनी चाहिए और प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर पृष्ठसंख्या के साथ प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।

6 ऐसी जानकारी जिसे अधिक विवरण के साथ देना आवश्यक हो पृथक पृष्ठ पर दी जायेगी जो कि आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए और उचित तरीके से व्यवस्थित क्रम में हो।

7.आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए।

8.आवेदन के साथ इन विनियमों की द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस होनी चाहिए।

सामान्य जानकारी

(क) आवेदक का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, पत्र व्यवहार के लिए पता और कारबार का प्रधान स्थान, दूरभाष संख्या, फैक्स नं0 , ई—मेल का पता दस्तावेजो सहित।

(ख) क्या आवेदन रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के हेतु है। यदि आवेदन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या उपलब्ध कराये।

(ग) सम्पर्क व्यक्ति (यों) का नाम, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर और ई—मेल।

(घ) आवेदन की विधिक अवसंरचना – क्या आवेदक एक स्वत्वधारी है, निगमित निकाय है (कंपनी सहित), साझेदारी व्यवसायिक संघ या सीमित देयताएं साझेदारी या संस्था या न्यास है।

(ङ) क्या आवेदक एक बैंक/एनबीएफसी है।

(च) स्थापना/निगमीकरण का स्थान और तिथि, यदि कोई हो, यदि आवेदक भारत के बाहर कहीं निगमित है तो ऐसे निगमीकरण का विवरण ।

(छ) क्या आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत आवेदन किये जाने से पूर्व सेवानिवृत्ति सलाहकारीय सेवायें देने में प्रवृत्त रहा है।

(ज) क्या आवेदक किसी भी धारिता में सेबी, आरबीआई,आईआरडीए या पीएफआरडीए के साथ में पंजीकृत है, यदि हां, तो ऐसे रजिस्ट्रीकरण का विवरण

(झ) आवेदक की गतिविधियों से संबंधित एक समीक्षा लेख

(ञ) नवीनीकरण आवेदन के लिए, विद्यमान सेवानिवृत्ति सलाह सेवाओं जिनमें अभिदाता की संख्या और प्रकार, परामर्श के अधीन आस्तियां, राजस्व, लाभप्रदता, उत्पाद/सेवानिवृत्ति उत्पाद जिस पर सलाह उपलब्ध कराई गई इत्यादि समाविष्ट है, का विवरण उपलब्ध करायें)

(त) विनियम 7 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अधिकृत संस्थान से प्राप्त प्रमाणीकरण का विवरण, जहां लागू हो।

1. आवेदक का विवरण (उपर्युक्त सामान्य जानकारी के अतिरिक्त)

 (केवल उसी अनुभाग का ही विवरण उपलब्ध करायें जो आप पर लागू हो)

I जहां आवेदक एक कम्पनी हो, के मामले में :

1. पणधारिता पद्धति और निदेशकों की पृष्ठभूमि (निदेशकों के पहचान और आवास के पते के साक्ष्य संलग्न करें) ।
2. आवेदक के कर्मचारियों की और प्रतिनिधियों की संख्या (आगे चलकर जो 'प्रतिनिधियों' के रूप में जाने जाएंगे) जो आवेदक की ओर से इन विनियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सलाह को प्रस्तावित प्रतिपादन/प्रतिपादित करेंगे।
3. आवेदक द्वारा यह उदघोषणा कि उसके प्रतिनिधि वर्तमान में विनियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं के साथ आबद्धकर हैं।
4. आवेदक द्धारा यह उदघोषणा कि वह सह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी प्रतिनिधि पर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी योग्यताओं का सभी समय अनुपालन करें।
5. रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ सेबी, आरबीआई,आरडीएआई या पीएफआरडीए के साथ रजिस्ट्रीकृत संबद्ध कंपनियों की सूची।
6. यदि आवेदक एक बैंक या एबीएफसी है, तो सेवानिवृत्ति सलाह सेवाएं आरंभ करने हेतु आरबीआई से अनुमोदन की प्रति।

7. एक सनदीलेखाकर से शुद्ध मालियत प्रमाणपत्र, जो कि छः माह से अधिक पुराना न हो।

 कृपया ध्यान दे कि प्रमाणपत्र में सनदीलेखाकार की सदस्यता संख्या अनिवार्य रूप से समाविष्ट हो।

II यदि आवेदक एक स्वामित्व प्रतिष्ठान, साझेदारी कम्पनी या सीमित देयताओं वाली साझेदार है, के मामले में।

1. स्वत्वधारी का नाम, सेवानिवृत्ति सलाह में शामिल/शामिल होने के लिए प्रस्तावित साझेदारों के नाम और लाभप्रद स्वामित्व पद्धति (साझेदारों के पहचान और आवास के पते के साक्ष्य संलग्न करें)
2. क्या उपरोक्त वर्णित स्वत्वधारियों या साझेदारों के पास है :—

(क) व्यवसायिक अहर्ता या स्नातकोत्तर डिग्री या वित्त, लेखाशास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या जीवनांकिकी में किसी विश्वविद्यालय से या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त या मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान या संगठन से स्नातकोत्तर उपाधिपत्र; या

(ख)वित्तीय उत्पादों या सेवानिवृत्ति के उत्पादों या आस्तियों या पोर्टफोलियों प्रबंधन में सलाह से संबंधित गतिविधियों में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी विषय में स्नातक (समर्थित दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करायें)।

3. विनियम 7 के अनुरूप उक्त साझेदारों द्वारा प्राप्त किये गये प्रमाणीकरण की प्रति ।

4. यह उदघोषणा कि उक्त स्वत्वधारी या साझेदार प्रमाणीकरण अपेक्षाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान प्रमाणीकरण की वैधता की अविध के अवसान से पूर्व नवीन प्रामणीकरण अभिप्राप्त करेगा।

5. आस्तियों और देयताओं की विवरणिका और स्वत्वधारी या साझेदारी कम्पनी के निवल अमूर्त आस्तियों का सनदीलेखाकार द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाणीकरण (आवेदन जमा कराते समय छ माह से अधिक का न हो)।

कृपया ध्यान दे कि प्रमाणपत्र में सनदीलेखाकार की सदस्यता संख्या अनिवार्य रूप से समाविष्ट हो।

III आवदेक एक निगमित निकाय होने के मामले में (कम्पनी और सीमित देयताओं वाली साझेदारी के अतिरिक्त) :

1. पणधारिता पद्धति और निदेशकों की पृष्ठभूमि (निदेशकों के पहचान और आवास के पते के साक्ष्य संलग्न करें) ।

2. क्या आवेदक को केन्द्रीय सरकार या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम या कानूनों के अंतर्गत स्थापित या निर्मित किया गया है और क्या आवेदक को सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदित किया गया है (सबंधित संविधि/अधिनियम के सुसंगत उद्धरण को संलग्न करें)

3. आवेदक के कर्मचारियों की और प्रतिनिधियों की संख्या (आगे चलकर जो 'प्रतिनिधियों' के रूप में जाने जाएंगे) जो आवेदक की ओर से इन विनियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सलाह को प्रस्तावित प्रतिपादन/प्रतिपादित करेंगे।

4. आवेदक द्वारा यह उदघोशणा कि उसके प्रतिनिधि वर्तमान में विनियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं के साथ आबद्धकर हैं।

5. आवेदक द्वारा यह उदघोषणा कि वह सह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी प्रतिनिधि पर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी योग्यताओं का सभी समय अनुपालन करें।

6. एक सनदीलेखाकर से शुद्ध मालियत प्रमाणपत्र, जो कि छः माह से अधिक पुराना न हो।

कृपया ध्यान दे कि प्रमाणपत्र में सनदीलेखाकार की सदस्यता संख्या अनिवार्य रूप से समाविष्ट हो।

iv. आवेदक एक व्यष्टि होने के मामले में :

(1) आवेदक का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, कारबार का प्रधान स्थान, टेलिफोन नम्बर (रों), फैक्स नम्बर (रों), ई–मेल का पता, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ।

(2) क्या आवेदन रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण हेतु किया गया है, यदि आवेदन, प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या उपलब्ध करायें ।

(3) समर्थित दस्तावेजों यथा – अंक तालिका, प्रमाणपत्र इत्यादि के साथ शैक्षणिक अर्हताऐं।

(4) समर्थित दस्तावेजों यथा– अंक तालिका, प्रमाणपत्र इत्यादि के साथ वृत्तिक अर्हताएं, जहां लागू हो।

2. कारबार की योजना

1. प्रस्तावित कारबार योजना और उसे प्राप्त करने के साधन

2. अभिदाताओं के जोखिम पृष्ठभूमि और सलाह की उपयुक्तता का आंकलन करने के लिए प्रक्रिया

3. आधारभूत अवसंरचना का विवरण

1. कार्यालय स्थल का विवरण, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और स्थिरता, सम्प्रेषण सुविधाएं, अनुसंधान क्षमता, सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाएं आरंभ करने के लिए अनुसंधान सॉफ्टवेयर।

2. यह उदघोषणा कि आवेदक के पास सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों के प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक आधारभूत अवसंचरना मौजूद है।

IndiaCode

4. कार्यकारी सेवाएं

1. यदि आवेदक एक निगमित निकाय है, स्पष्टतया उल्लेखित करेगा कि क्या आवेदक अपने अभिदाताओं को सेवाओं के वितरण और निष्पादन को प्रस्तावित करता है

2. यदि हाँ, आवेदक को यह उदघोषणा उपलब्ध करानी पड़ती है कि सेवाएं अधीनस्थ या पृथक रूप से अभिज्ञेय विभाग या अनुभाग के द्वारा प्रस्तावित की जा रही हैं।

5. अन्य जानकारी/उद्घोषाणाएं/विनियामक कार्रवाई

(क) विगत पांच वर्षों में लम्बित और चुकता सभी विवादों का विवरण

(ख) क्या आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीप्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने हेतु आवेदन को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अस्वीकार किया गया है, यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

(ग) क्या आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति के विरूद्ध अधिनियम या उसके अधीन निर्मित विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण या सरकार ने आवेदन किये जाने की तारीख से विगत पांच वर्षों में अनुशासनात्मक कार्रवाई या अवरोध, निष्कासन या निषेधात्मक आदेश या ऐसी की प्रकृति का कोई अन्य आदेश पारित किया गया है। यदि हाँ, तो ऐसी कार्रवाई का विवरण दें।

(घ) क्या आवेदक/निदेशकों/प्रायोजकों/साझेदारों को आवेदन किये जाने की तिथि से विगत पांच वर्षों में किसी आर्थिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, के लिए दोषसिद्धि किया गया है, यदि हां तो इसका विवरण दें।

(ङ) आवेदक के लिए सीआईबीआईएल से क्रेडिट रिपोर्ट/गणना। (वित्तीय संस्थानों और बैंककारी कंपनियों के अतिरिक्त)

(च) यह उदघोषणा कि आवेदक, उसके प्रतिनिधि या साझेदार यदि कोई हो, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर उचित और उपयुक्त व्यक्ति हैं।

(छ) यह उदघोषणा कि आवदेक, अभिदाता, जिसे अंतर्निहित उत्पादों या प्रतिभूतियों, जिससे के लिए अभिदाता को सलाह दी जाती है, के संबंध में सलाह दी गई है, के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक या किसी अन्य रीति में जो भी हो, किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं करेगा।

(ज) कोई अन्य जानकारी जो कि आवेदक द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के संबंध में सुसंगत समझी जाये।

उद्घोषणा कथन

मैं/हम एतत द्वारा सहमत हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि संलग्न पत्रों सहित, आवेदन में दी गई जानकारी, पूर्ण और सत्य है। और मैं/हम इसके अतिरिक्त सहमत हैं कि मैं/हम प्राधिकरण को आवेदन में दी गई जानकारी में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में तुरंत सूचित करेंगें। इसके अतिरिक्त मैं/हम पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 सहित इसके अधीन निर्मित विनियमों, नियमों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी कोई अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं/निदेशों, का अनुपालन करने और से आबद्धकर रहने के लिए सहमत हूँ।

इसके अतिरिक्त मैं/हम रजिस्ट्रीकरण की शर्तों से सहमत हैं। मैं/हम ऐसे परिचालनात्मक निर्देशों/आदेशों जैसा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, से आबद्धकर रहूंगा/रहेंगे।

के लिए और की ओर से

(आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी/आवेदक

(हस्ताक्षर)

(तिथि और स्थान)

प्रपत्र ख

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 (विनियम 9 देखें)

सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

IndiaCode

प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 (2013 का 23) की धारा 27 की उपधारा (3) और उसके साथ पठित विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण को अधिनियम और उसके अधीन निर्मित विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार का रजिस्ट्रीकरण नम्बरहै और यह ———————————————— की अवधि तक विधिमान्य रहेगा।

दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली

पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण और विकास की ओर से और के लिए

द्वितीय अनुसूची

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 (विनियम 9 देखें)

फीस

1. प्रत्येक व्यक्तिगत आवेदक रूपये पांच सौ की अप्रतिदेय आवेदन फीस का संदाय करेगा और प्रत्येक आवेदक, व्यक्तिगत आवेदकों के अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त या नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ रूपये पांच हजार की अप्रतिदेय फीस का संदाय करेगा।
2. ऐसे आवेदक जो व्यक्तिगत रूप से आवेदन करते हैं, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीनीकरण किये जाने के समय रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण फीस के रूप में कुल एक हजार रूपये का संदाय करेगा।
3. ऐसे आवेदक जो कि कम्पनी/निगमित निकाय/ पंजीकृत न्यास/संस्था हैं, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीनीकरण किये जाने के समय रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण फीस के रूप में कुल दस हजार रूपये का संदाय करेगा।
4. परिच्छेद 2 और 3 में उल्लेखित फीस, प्राधिकरण से सूचना प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अपश्चात ''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण'' के नाम नई दिल्ली में देय मांग ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा या जैसा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, देय होगा।
5. इस अनुसूची के अंतर्गत फीस की राशि को प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर उपयुक्त परिपत्रों, निर्देशों या अधिसूचनाओं को जारी करके संशोधित किया जा सकेगा। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित लागू फीस का संदाय करना अपेक्षित होगा।

तृतीय अनुसूची

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 (विनियम 15 के उपविनियम (14) को देखें)

सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए आचार सहिंता

1. सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता

एक सेवानिवृत्ति सलाहकार सभी समय पर अपने अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन सेक्टर के क्रमबद्ध विकास हेतु ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के साथ कार्य करेगा।

2. तत्परता

सेवानिवृत्ति सलाहकार अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में सम्यक कौशल, सावधानी और तत्परता के साथ कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गहन विश्लेशण और उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सलाह प्रस्तुत करे।

3. क्षमता

सेवानिवृत्ति सलाहकार के पास उपयुक्त संसाधन, जो कि उसकी कारबार गतिविधियों के प्रभावपूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक है, होंगे और उन्हें वह प्रभावकारी ढंग से नियोजित करेगा।

4. संभावित अभिदाताओं/अभिदाताओं के बारे में जानकारी

सेवानिवृति सलाहकार अपने संभावित अभिदाताओं या अभिदाताओं से उपलब्ध कराई जाने वाली सलाह से सुसंगत उनकी वित्तीय स्थिति, निवेश अनुभवों और सेवानिवृत्ति लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और ऐसी जानकारी के संबंध में सर्वोच्च गोपनीयता बनाये रखेगा।

5. अपने अभिदाताओं को जानकारी

सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने संभावित अभिदाताओं या अभिदाताओं के साथ व्यवहार करते समय सुसंगत वास्तविक जानकारी का पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा।

6. उचित और तर्कसंगत प्रभार

सेवानिवृत्ति सलाहकार एक संभावित अभिदाता को परामर्श उपलब्ध कराते समय, प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपरि सीमा के अध्यधीन, यदि कोई हो, फीस प्रभारित कर सकता है। सेवानिवृत सलाहकार यह सुनिश्चत करेगा कि अभिदाताओं से ली जाने वाली फीस उचित और तर्कसंगत हो।

7. हित संघर्ष

सेवानिवृत्ति सलाहकार जहां तक संभव हो सके, हित संघर्ष का परिवर्जन करने का प्रयास करेगा और जहां ऐसा करना संभव न हो, वह सुनिश्चत करेगा कि संभावित अभिदाताओं को युक्तियुक्त प्रकट किया जाये और संभावित अभिदाता के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो।

8. अनुपालन

सेवानिवृत्ति सलाहकार, अपने प्रतिनिधि (यों) सहित, उसके कारबार गतिविधियो संबंधी आचरण पर लागू विनियमाक अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ताकि अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित को बढ़ावा दिया जा सके और अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा।

9. वरिष्ठ प्रबंधन का उत्तरदायित्व

निगमित निकाय का वरिष्ठ प्रबंधन जिसे सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, संचालन के यथोचित मानकों को बनाये रखने और निगमित निकाय द्वारा उचित प्रक्रियाओं का अवलम्बन सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी का वहन करेगा।

सेवानिवृत्ति सलाहकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपनी गतिविधियों के संचालन में अभिदाताओं के हितों को अपने स्वयं के हितों के ऊपर स्थान देगा।

सेवानिवृत्ति सलाहकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण या अन्य मध्यवर्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार का अपकर्षी , अपमानित करने वाला बयान या टिप्पणी देने से स्वयं को अलग रहेगा।

चतुर्थ अनुसूची

व्यक्तिगत जोखिम रूपरेखा पत्र

					————
					————
					————
नाम	————————	**लिंग**	पु0 / स्त्री	**आयु**	—
शिक्षा	एसएससी	एचएससी व्यवसायिक / स्व–नियोक्ता	स्नातक	स्नातकोत्तर	व्यावसायिक (सीए,सीएस,सीएमए इत्यादि)
					————
	वेतनभोगी			**आश्रितों की**	————
व्यावसाय	(सरकारी / निजी)हाँ / नहीं	यदि हाँ,बीमा की राशि	कृषि	**संख्या**	————
व्यक्तिगत जीवन बीमा					
व्यक्तिगत और आश्रितों के लिए			———		
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा	हाँ / नहीं	यदि हाँ,बीमा की राशि	———		
निवास का स्थान / शहर	————————	**निवास**			
वार्षिक आय विवरण			मालिकाना / किराये पर		
प्रतिमाह वेतन (रू0 में) लगभग	0–5 लाख	5–10 लाख	10–25 लाख		25 लाख या उससे अधिक
प्रतिमाह व्यय निवेश विवरण (रू0 में)	———————— किराया———भोजन ————शिक्षा———स्वास्थ्य ———ईएमआई ———— विविध ————				
आस्ति	एम / एसाईपी ———बैंक डिपोजिट / एफडी / आरडी———शेयर / इक्विटी / बोंड / डेबेंचर ———				

विवरण
(रू लाख में)
देयताएं
विवरण
(रू लाख में) मकान––––– कार ––––– भूमि––– –– सोना, आभूषण, बैक डिपोजिट ––––––––––

व्यक्तिगत जोखिम रूपरेखा मकान ––– कार ––––– व्यक्तिगत ऋण ––––––– शिक्षा ऋण ––– विविध––––––

1 से 5 के स्तर पर कृपया निम्न का निर्धारण करें

1. दृढ्तापूर्वक असहमत 2. असहमत 3. कोई राय नहीं/तटस्थ विचार 4. सहमत 5. दृढतापूर्वक सहमत

क.	1	2	3	4	5
निवेश के लिए मैं घोषणाओं पर ध्यान देता हूँ पछतावे से बेहतर है कि सुरक्षित रहें।	1	2	3	4	5
ख. निवेश और अन्य वित्तीय विषय मुझे आसानी से समझ आ जाते हैं।	1	2	3	4	5
ग. मेरी सेवानिवृत्ति बचत मेरे सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए पर्याप्त होगी।	1	2	3	4	5
घ. इक्विटी में निवेश करना सुरक्षित है।	1	2	3	4	5
ड. मैं शेयर बाजार की अनिश्चितता को लेकर चिंतित हूँ।	1	2	3	4	5
च. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना सुरक्षित है।	1	2	3	4	5
छ. मैं बैंक में पैसा रखना ज्यादा सुरक्षित समझता हूँ।	1	2	3	4	5
ज. जोखिम और प्रतिलाभ दोनों साथ–साथ चलते हैं।	1	2	3	4	5
झ. भविष्य में मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है।	1	2	3	4	5
ट. ऊंची मुदास्फीति मेरी सेवानिवृत्ति बचत को समाप्त कर देगी।	1	2	3	4	5
ठ. मैं सेवानिवृत्ति के बाद भी काम करके अपनी सेवानिवृत्ति आय में वृद्धि करना चाहता हूँ।	1	2	3	4	5
ड सामान्यतः मैं सुरक्षित निवेश चाहता हूँ चाहे कम प्रतिलाभ ही मिले	1	2	3	4	5
ढ. मैं 'जोखिम' शब्द को अवसर के विचार के साथ जोड़कर देखता हूँ	1	2	3	4	5

उद्घोशणा

मैं एतत द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने स्वेच्छा से उपरोक्त उल्लेखित जानकारी सेवानिवृत्ति सलाहकार को उपलब्ध कराई है। हालांकि उक्त जानकारी गोपनीय है और केवल व्यक्तिगत निवेश जोखिम रूपरेखा के आंकलन के प्रयोजनार्थ है। बिना मेरी प्रकट अनुमति और या सहमति के , इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन या विषय हेतु नहीं किया जाना चाहिए।

अभिदाता के हस्ताक्षर

सेवानिवृत्ति सलाहकार के हस्ताक्षर और मुहर

IndiaCode

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2016

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

No. PFRDA/12/RGL/139/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and clause (d) of sub-section (2) of section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act,2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement .- (1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

The objective of the regulations is to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser to ensure orderly growth of pension sector.

2. Definitions.- In this regulation, unless the context otherwise requires,—

(i) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act , 2013 (23 of 2013);

(ii) "any other pension scheme" means any other pension scheme referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act;

(iii) "Auditor" means a person who is qualified to audit the accounts of a company under Section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or appointed under Section 139 of the Companies Act, 2013.

(iv) "Authority" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013;

(v) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(vi) "Company" means any entity formed and registered under Companies Act, 1956 or incorporated under the Companies Act, 2013.

(vii) "Compliance Officer" shall be a person of responsibility from a Retirement adviser, and designated as such, duly responsible for monitoring compliance of the provisions of Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Authority or the Central Government from time to time and for redressal of subscriber grievances.

(viii) "Fees and charges" means fees and charges payable as remuneration for services rendered by intermediaries under National Pension System.

(ix) "Member" means member of the Authority and includes its Chairperson.

(x) "Prospects" means any prospective subscriber or group of subscribers of National Pension System or any organisation or corporate or employer which desires to implement National Pension System for its employees or has implemented such pension system for its employees.

(xi) "Retirement adviser" means any person being an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered trust or society, which desires to engage in the activity of providing advice on National Pension System or other pension scheme regulated by Authority to prospects/subscribers or other persons or group of persons and is registered as such under these regulations.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF RETIREMENT ADVISERS

3. Application for grant of certificate.- (1) On and from the commencement of these regulations, any individual, firm or a corporate body or any registered trust or society, acting as a retirement adviser or desirous of acting as such or holding himself or itself out as a retirement adviser by providing or disseminating advice in any manner, either oral or in writing on National Pension System (NPS) or any pension scheme regulated by the Authority, to any potential or existing subscriber, with the object of facilitating opening of new accounts or offering advisory services to existing subscribers, shall obtain a certificate of registration to act as a retirement adviser from the Authority as provided under these regulations :

(2) An application for grant of certificate of registration shall be made in Form A as specified in the First Schedule to these regulations and shall be accompanied by a non-refundable application fee to be paid in the manner specified in Second Schedule.

4. Exemption from registration.- (1) The following persons or entities shall not be required to seek registration under regulation 3 subject to the fulfilment of the conditions stipulated therefor, —

(a) Any intermediary or entity regulated by the Authority.

(b) Any other entity as may be specified by the Authority other than specified under sub-regulation (2

(2) The following persons or entities shall not be required to obtain a certificate of registration subject to the fulfilment of the conditions stipulated therefor, —

(a) Any advocate, solicitor or law firm, who provides retirement advice to their clients, incidental to their legal practice;

(b) Any member of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost and Works Accountants of India, Institute of Actuaries of India or any other professional body as may be specified by the Authority, who provides retirement advice to his clients, incidental to his professional service;

(c) Any other entity as may be specified by the Authority.

Provided that such persons or entities shall comply with the general obligation(s) and responsibilities as specified in these regulations and shall be fully liable for any defaults, as provided under these regulations, notwithstanding that such persons or entities have not obtained or granted any certificate of registration under these regulations:

5. Furnishing of further information, clarification and personal representation.- (1) The Authority may require the applicant to furnish further information or clarification regarding matters relevant to retirement advisory services for the purpose of consideration of the application filed under sub-regulation (2) of regulation 3.

(2) The applicant or his authorised representative, if so required, shall appear before the Authority for personal representation in regard to processing and grant of registration or exemption where so applicable.

6. Consideration of application and eligibility criteria.- For the purpose of the grant of certificate, the Authority shall take into account all matters which are relevant to the grant of certificate of registration and in particular the following, namely, —

(a) whether the applicant is an individual, a body corporate or a registered partnership firm or society or trust registered under applicable law;

(b) where the applicant is a body corporate, all the representatives of the applicant who provide retirement advice are appropriately qualified and certified as specified in regulation 7;

(c) Where the applicant is a proprietary concern, firm, limited liability partnership or trust or society, proprietors or all partners or majority of trustees or members of the society who are engaged in giving retirement advice are qualified and certified as specified in regulation 7;

(d) whether the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of a retirement adviser;

(e) whether the applicant or any person directly or indirectly connected with the applicant has in the past been refused certificate by the Authority in regard to any functions or as an intermediary and if so, the grounds for such refusal;

(f) whether any disciplinary action or other measures have been taken by the Authority or any other regulatory authority or by a government department or by any entity in the financial sector or by any professional body or institution against any person or entity, either directly or indirectly connected with the applicant under the respective Act, rules or regulations made thereunder in the past five years immediately preceding such application or such person has been convicted by any court for commission of any economic offence or involving moral turpitude in the past five years immediately preceding such application ;

(g) any other criteria that may be notified by the Authority, as may be deemed fit in the interest of subscribers.

7. Qualification and certification requirement.-

(a) The individual, proprietor, partners, trustees, members and representatives of a retirement adviser registered under these regulations, offering retirement advice shall possess the minimum qualifications of that being a Graduate in any discipline, at all times, and;

(b) Individuals and the proprietor, partners, trustees, members and representatives of retirement advisers to ensure that the individuals offering retirement advice shall, at all times, possess a valid certification on retirement planning or retirement advisory services from an Institute accredited by the Authority.

Provided that such certification shall not be mandatory in the following cases:

(i) an Investment Adviser registered with Securities and Exchange Board of India under its regulations

(ii) any Certified Financial Planner (CFP) or Associate Financial Planner (AFP)- Retirement Planning Certification/s, awarded by Financial Planning Standards Board India (FPSB India)

(iii) any other cases as specified by Authority.

Provided further that fresh certification or renewal of the existing certificate through completing continuous professional education by the accredited institute must be obtained before expiry of the validity of the existing

certificate to ensure continuity in compliance with certification requirements.

8. Security Deposit.- (i) Retirement Advisers which are body corporate or partnership firm or any registered trust or society, on registration shall provide security deposit in the form of bank deposit or performance guarantee of Rs. one lac to the Authority before commencement of its business. The deposit/ Guarantee shall be valid for a period of six months beyond the original or renewed period of registration so granted. Such security deposit or guarantee shall be issued by a scheduled commercial bank and where any bank is offering services of a retirement adviser, then security deposit shall be issued by another scheduled commercial bank.

(ii) Retirement Advisers who are individuals or carrying on proprietary concerns, upon registration shall provide security deposit in the form of bank deposit or performance guarantee of Rs. ten thousand to the Authority before commencement of business. The bank deposit/Guarantee shall be valid for a period of six months beyond the original or renewed period of registration period so granted. The registration is liable to be cancelled if such deposit is not received within the time stipulated by the Authority, unless extended.

9. Grant of certificate of registration.- The Authority on being satisfied that the applicant satisfies and complies with the requirements specified in regulation 6 shall send intimation to the applicant and on receipt of the payment of registration/renewal fees as specified in Second Schedule, shall grant a certificate of registration in Form B as specified under First Schedule, subject to observance of such terms and conditions accompanying such certificate of registration.

10. Period of validity of certificate.- The certificate of registration granted under regulation 9 shall be valid for a period of three years from the date of its issue.

11. Renewal of certificate.- (1) Three months before the expiry of the period of validity of the certificate, the retirement adviser may, if he so desires, make an application in Form A for grant of renewal of certificate of registration

(2) The application for renewal under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as if it were an application made under sub-regulation (2) of regulation 3 for grant of certificate.

Provided however that the Authority may also take into consideration, the performance of the retirement adviser during the original period of certification including the number of new accounts opened.

(3) . In case the application for renewal is not received within the time period stipulated in sub-regulation (1), the Authority may consider the application on receipt of the same along with the late fee as specified by the Authority. No application for renewal shall be accepted beyond a period of one hundred and eighty days from the date of expiry of existing registration.

(4) An existing Retirement Adviser shall have no special rights or privilege for grant of such renewal by the Authority.

(5) The Authority may if it deems fit, exempt at the time of renewal, any existing Retirement Adviser from satisfying any of the eligibility conditions, for reasons to be recorded in writing and such exemption may be granted with or without any conditions.

12. Procedure where registration is refused.- (1) After considering an application made under regulation 3, if the Authority is of the opinion that a certificate should not be granted to the applicant, it may reject the application for reasons to be recorded in writing. The Authority may before rejecting the application give the applicant a reasonable opportunity of curing the deficiencies within a specified time period.

(2) The decision of the Authority to reject the application shall be communicated to the applicant within thirty days of such decision.

(3) Where an application for a certificate of renewal is rejected by the Authority, the applicant shall forthwith cease to act as a retirement adviser certified by Authority :

Provided that nothing contained in this regulation shall affect the liability of the applicant towards the subscribers associated with it, under law.

13. Conditions of certificate.-The certificate granted under regulation 9 shall, inter alia, be subject to the following conditions:-

(a) the retirement adviser shall abide by the provisions of the Act and these regulations and features of National Pension System;

(b) the retirement adviser shall forthwith inform the Authority in writing, if any information or particulars previously submitted to the Authority are found to be false or misleading in any material particulars or if there is any material change in the information already submitted;

(c) the retirement adviser shall include the words 'retirement adviser ' in its name:

(d) Provided that if the retirement advisory service is being provided by a separately identifiable department or division or a subsidiary, such separately identifiable department or division or subsidiary shall include the words 'retirement adviser ' in its name;

14. Suspension and Cancellation of Certificate of Registration.- The certificate of registration issued to the Retirement Adviser shall be liable to be suspended, withdrawn, revoked or cancelled, as the case may be in the

following cases, namely if the Retirement Adviser :

(a) fails to comply with any of the conditions subject to which the certificate has been granted;

(b) contravenes any of the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the regulations made thereunder and such other guidelines or directions issued by the Authority from time to time; or;

(c) fails to furnish any information relating to his activities as retirement adviser, as required by the Authority;

(d) furnishes wrong or false information, or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining the certificate;

(e) does not submit periodical returns as required by the Authority;

(f) fails to resolve the complaints of the subscribers or fails to give a satisfactory reply to the Authority in this behalf;

(g) does not co-operate with any inspection conducted by the Authority;

(h) acts in a manner detrimental to or against the interest of the subscriber or against public interest or does not promote orderly growth of National Pension System or violates the features of the said scheme;

(i) against whom any investigation has been commenced by any agency or authority in relation to activities of fraud or financial impropriety or any orders of restraint, debarment, prohibition or like nature has been passed against it by any regulatory body or by the government or has been convicted for commission of any economic offences or involving moral turpitude by any court of law.

(j) Any other acts of commission or omission as may be specified by the Authority through notification or circulars or guidelines.

15. Fees to be charged by the Retirement Adviser.- (1) A Retirement adviser shall provide retirement advice and facilitate on-boarding to National Pension System and assist the subscriber in getting the subsequent services under National Pension System. The fees for retirement advice, on-boarding and subsequent services or transaction may be charged by the Retirement Adviser, subject to the maximum of charges as may be specified by the Authority.

The upper ceiling for on-boarding for a prospect under National Pension System shall be Rupees one hundred and twenty only which shall be subject to revision by the Authority from time to time and as may be specified by the Authority through issuance of appropriate circular/guidelines/directions. Payment of on-boarding fee will be chargeable only on completion of the registration process/on-boarding of the subscriber and generation of individual pension account.

For any subsequent services, the individual Retirement Adviser shall be entitled to charge upto Rupees. Twenty only per transaction or a maximum of Rupees One Hundred annually which may be subject to revision by the Authority from time to time, as may be specified in that behalf by issuance of appropriate notifications, guidelines, circulars or directions.

(2) Retirement Adviser which is an individual or a firm or body corporate or any other entity, advising a prospect or subscriber or a group or class of subscribers collectively, may charge advisory fees, subject to any ceiling as may be specified by Authority, through issuance of appropriate notifications ,guidelines, circulars or any other directions, if any.

The fees in such cases shall be chargeable as per the written agreement between the prospect/subscriber and the Retirement Adviser. Further, a Retirement Adviser shall ensure that fees charged to the prospects/subscribers including the group of subscribers are fair and reasonable and commensurate to the services offered.

All fee and charges collected shall be duly acknowledged by the retirement adviser by issuance of appropriate receipts for the service provided.

16. Recognition of body or body corporate for monitoring of retirement advisers.- (1) The Authority may recognize any body or body corporate for the purpose of monitoring the activities of retirement advisers.

(2) The Authority may, at the time of grant of recognition to such body or body corporate, delegate administration and supervision of retirement advisers to such body or body corporate on such terms and conditions as may be specified by the Authority.

(3) The Authority may specify that no person shall act as a retirement adviser unless he or she or it is a member of such a recognized body or body corporate and in such event, provisions of these regulations and byelaws or articles of such body or body corporate shall apply mutatis mutandis to such retirement advisers.

CHAPTER III

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

17. General responsibility.-

(a) A Retirement Adviser shall act in a fiduciary capacity towards his prospects/subscribers and shall disclose all conflicts of interests as and when they arise;

(b) A Retirement Adviser may have a tie up with the registered Points of Presence for providing services to

the prospects. There shall be no restrictions on the number of Points of Presence with whom the Retirement Adviser may enter into such arrangements provided that the interests of the subscribers are not adversely affected.;

(c) A Retirement Adviser shall not receive any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form from any person other than the prospect or subscriber being advised, in respect of National Pension System (NPS) or other pension scheme regulated by Authority, for which such advice is provided;

(d) A Retirement Adviser shall not collect any amount in cash for investment or contribution to the pension account of the subscribers in the capacity of Retirement Adviser;

(e) The Retirement Adviser shall advice the prospects or subscribers of the manner of filling the registration form for enrolment, exit forms, various other forms required to modify or change personal master details, nomination, Point of Presence, Pension Funds, investment choice and other related activities under National Pension System or other pension schemes;.

(f) The Retirement Adviser shall advice the subscribers on a periodic basis about the performance of Pension Funds, underlying asset portfolio, NAV, general financial market trend or any other relevant information through dedicated e-mail, newsletters or other specified means ;

(g) The Retirement Adviser shall advice the subscribers on a periodic basis about the change in various policies & guidelines issued by Authority, or other information pertaining to intermediaries under National Pension System including the National Pension System Trust;

(h) A retirement adviser shall maintain an arms-length relationship between its activities as a Retirement Adviser and its other activities;

(i) A Retirement Adviser which is also engaged in activities other than that of retirement advisory services shall ensure that its retirement advisory services are clearly segregated from all its other activities;

(j) A Retirement Adviser shall ensure that in case of any conflict of interest on retirement advisory activities with other activities, such conflict of interest shall be disclosed to the prospects or subscribers, beforehand;

(k) A Retirement Adviser shall not divulge any confidential information about its prospect or subscriber, which has come to his or its knowledge, without taking prior permission of its prospect or subscriber, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force;

(l) A Retirement Adviser shall follow 'Know Your Customer' procedure as specified by the Authority from time to time;

(m) A Retirement Adviser shall abide by Code of Conduct as specified by Authority;

(n) In case of change in control of firm of the Retirement Adviser, timely intimation shall be given to Authority;

(o) Retirement Advisers shall furnish to the Authority information and reports as may be specified by the Authority from time to time.

(p) It shall be the responsibility of the Retirement Adviser to ensure that its representatives and partners, as applicable, comply with the certification and qualification requirements as specified by Authority at all times.

18. Scope of Work.- A Retirement Adviser shall undertake the following activities:

(i) Creating awareness of National Pension System and other pension schemes regulated by Authority will be the core responsibility of the Retirement Adviser;

(ii) To facilitate on-boarding of the prospective subscriber to National Pension System or other pension scheme regulated by Authority;

(iii) To advise prospects on the necessity of old age income security, retirement planning, level of contributions they can make , having regard to their current and future potential income to achieve desired retirement objectives and other issues connected with taking of these decisions and avoid chances of mis-selling;

(iv) To help prospects and other subscribers in planning for retirement savings;

(v) The retirement adviser is expected to exercise professional due diligence while dealing with prospects and possess the necessary skills towards this end;

(vi) The retirement adviser shall allow a free and frank atmosphere while dealing with prospects, which shall allow them to take informed transactional decisions and for this purpose and shall keep the interest of the prospect/subscriber in the forefront;

(vii) The retirement adviser is required to collect and suggest prospects or subscribers , the most suitable scheme, taking into consideration the following aspects of the prospects and based on utmost good faith and fair market practices:

a. Due diligence on the requirements of the prospects to suggest them the most suitable products by collecting basic information of the prospects such as information pertaining to age, marital status, dependents, current assets, liabilities, income, planned purchases, planned retirement age; plans post retirement, family history of health and longevity and the current health position.

b. Identifying prospect's financial and retirement goals.

c. Analyzing prospect's current financial situation and current investments.

d. Risk profiling of the prospect or subscriber.

e. Asset Allocation

f. Investment allocation strategy

g. Periodic monitoring and balancing.

h. Likelihood of immediate and near future financial commitments of either self or family.

(viii) A Retirement Advisor will enable the subscribers to avail the benefits of pension schemes regulated by Authority by supporting them in making simple decisions about contributions, investments allocation and selection of Pension Funds.

(ix) A Retirement Adviser shall partner with corporates and Government departments to run awareness programmes on retirement planning for their employees.

(x) A Retirement Advisor shall be able to appropriately guide and advice the subscriber about the risk and return profiles of the different financial assets and also advise the most suitable ratio of fund allocation in each of the asset classes viz. Equity, Government Securities, Corporate Bonds after duly considering the profile of the prospect and prevailing market conditions, and expected growth in the various parameters of economy and financial markets. A retirement advisor shall not hold out any guarantee for the performance of any asset.

(xi) Retirement Advisors may create awareness on the fund performance of each pension fund including comparison of the returns of the scheme and investments made by the pension funds, on the basis of information made available or approved by Authority.

(xii) Retirement Advisors would transmit information and documents to intermediaries in a time bound manner and maintain utmost confidentiality at all times of personal information collected from subscribers and shall not use it for any other activity without the consent of the subscriber.

19. Risk profiling. - Retirement Adviser shall ensure that,-

(a) it obtains from the prospects or subscribers, such information as is necessary for the purpose of giving retirement advice, including the following:-

(i) age;

(ii) income details;

(iii) existing retirement savings/ assets;

(iv) risk appetite/ tolerance;

(v) liability/borrowing details.

(vi) dependent family members

(vii) life/health insurance details

(viii) any other relevant information

in the risk profiling sheet as specified in fourth schedule as amended by the Authority from time to time.

(b) it follows a process for assessing the risk, a prospect or subscriber is willing and able to take, including:

(i) assessing a prospect's capacity for absorbing loss;

(ii) identifying whether prospect is in a position to understand the concept of market risk involved in the process of investment;

(iii) appropriately interpreting prospect's responses to questions and not attributing inappropriate weight to certain answers.;

(iv) is able to understand and appreciate that retirement plans involve long gestation period, and early liquidation or exit, from the scheme is not beneficial.

(c) where tools are used for risk profiling, it shall be ensured that the tools are fit for the purpose and any limitations are identified and mitigated;

(d) any questions or description in any questionnaires used to establish the risk that a prospect is willing and able to take are fair, clear and not misleading, and shall ensure that:

(i) questionnaire is not vague or use double negatives or in a complex language that the prospect may not understand;

(ii) questionnaire is not structured in a way that it contains misleading questions.

(e) once the assessment is done, risk profile of the prospect is communicated to the prospect;

(f) risk assessment is updated periodically on the basis of the information provided by prospects or subscribers.

20. Disclosures to prospects/subscribers.- (a) A retirement adviser shall disclose to a prospective subscriber, all material information about himself/itself including its business, disciplinary proceedings history, professional qualifications, the terms and conditions on which it offers advisory services, affiliations with other intermediaries and such other information as is necessary to take an informed decision on whether or not to avail his/its services;

(b) A retirement adviser shall disclose to its prospect, any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form whatsoever, received or receivable by it;

(c) A retirement adviser shall disclose to the prospect any actual or potential conflicts of interest arising from any connection to or association with any intermediaries under National Pension System or any other pension scheme regulated by Authority, including any material information or facts that might compromise its objectivity or independence in the carrying on of retirement advisory services;

(d) A retirement adviser shall, while making an advice, make adequate disclosure to the prospect of all material facts relating to the key features of the services or products or securities, particularly, performance track record of various investment asset class and annuity schemes offered by various Pension Funds and Annuity Service Providers.;

(e) A retirement adviser shall draw the prospect's attention to the warnings, disclaimers in documents, advertising materials relating to an investment choice and annuity choice which it is recommending to the prospect/subscriber;

(f) A retirement adviser shall inform that National Pension System is not a tie-up with other products or offered in combination with other financial products or services provided by the retirement adviser;

(g) A retirement adviser shall refrain from making any statements which are derogatory or disparages or distorts the image of National Pension System or that of the Authority in any manner.

21. Maintenance of records.- (a) A Retirement Adviser shall maintain the following records,-

(i) Know Your Customer records of the prospects or subscriber;

(ii) Risk profiling sheet as specified in Fourth schedule as amended from time to time, duly filled up and signed by the subscriber Copies of agreements with prospects or subscribers, if any;

(iii) A register or record containing list of the prospects or subscribers, the date of advice, fee charged , if any for such advice.

(iv) Any other documents or records, as may be notified by the Authority.

(b) The records may be maintained in physical or electronic format in such manner that it can be retrieved whenever required by the Authority or any other person authorised by the Authority.

(c) A Retirement Adviser, other than an individual Retirement Adviser generating a fees of amount of more than the limit as specified by Authority for retirement advisory services, shall undertake yearly audit in respect of compliance with these regulations from a member of Institute of Chartered Accountants of India. Provided that in case of banks offering services of retirement adviser, the same shall be covered under the scope of its statutory audit.

22. Appointment of compliance officer.- A Retirement Adviser which is a body corporate or a partnership firm or any registered trust or society shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance by the Retirement Adviser in respect of the requirements of the Act, regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Authority. For individual retirement advisers, compliances shall be the responsibility of such person in whose name the certificate of registration has been granted by the Authority.

23. Redressal of grievances.- (a) A Retirement Adviser shall redress subscriber grievances promptly.

(b) A Retirement Adviser shall abide by and be bound by the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 as amended from time to time.

24. Segregation of execution services.- Retirement Advisers which are banks, Non Banking Finance Companies (NBFCs) and body corporate providing distribution or execution services to their prospects shall keep their retirement advisory services segregated from other activities:

Provided that such distribution or execution services can only be offered subject to the following:

(a) The prospect shall not be under any obligation to avail the distribution or execution services offered by the Retirement Adviser.

(b) The Retirement Adviser shall maintain arm's length relationship between its activities as retirement adviser and distribution or execution services.

(c) All fees and charges paid to distribution or execution service providers by the prospect shall be paid directly to the service providers and not through the Retirement Adviser.

(d) The Retirement Adviser shall not force the subscriber in any manner to avail their services as a condition precedent for subscribing to National Pension System or offer any tie up services without the approval of the Authority.

CHAPTER IV
INSPECTION

25. Authority's right to inspect. (1)The Authority may suo moto or upon receipt of information or complaint appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts, records and documents relating to retirement advisers for any of the following reasons, namely: -

(a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained by the retirement adviser in the manner specified in these regulations;

(b) to inspect into complaints received from subscribers or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the retirement adviser;

(c) to ascertain whether the provisions of the Act and these regulations are being complied with by the retirement adviser;

(d) to inspect into the affairs of a retirement adviser, in the interest of the pension sector or in the interest of subscribers.

(2) In respect of banks offering services of retirement adviser, without prejudice to the powers of inspection as contained under sub-regulation(1), the Authority may request the Reserve Bank of India to exercise such powers, as may be required.

26. Notice before inspection.- (1) Before ordering an inspection under regulation 25, the Authority shall give not less than ten days notice to the retirement adviser.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Authority is satisfied that in the interest of the subscribers no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the inspection of the affairs of the retirement adviser be taken up without such notice.

(3) During the course of an inspection, the retirement adviser against whom the inspection is being carried out shall be bound to discharge its obligations as provided in regulation 25.

27. Obligation of retirement adviser on inspection.- (1) It shall be the duty of every retirement adviser in respect of whom an inspection has been ordered under the regulation 25 and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of such retirement adviser, including representative of retirement adviser, if any, to produce to the inspecting authority such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with such statements and information as the inspecting authority may require for the purposes of inspection.

(2) It shall be the duty of every retirement adviser and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of the retirement adviser to give to the inspecting authority all such assistance and shall extend all such co-operation as may be required in connection with the inspection and shall furnish such information as sought by the inspecting authority in connection with the inspection.

(3) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to examine on oath and record the statement of any employees, directors, partners or person responsible for or connected with the activities of retirement adviser or any other associate person having relevant information pertaining to such retirement adviser.

(4) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to obtain authenticated copies of documents, books, accounts of retirement adviser, from any person having control or custody of such documents, books or accounts.

28. Submission of report to the Authority.- The inspecting authority shall, as soon as possible, on completion of the inspection submit an inspection report to the Authority: Provided that if directed to do so by the Authority, the inspecting authority may submit an interim report.

29. Action on the inspection report.-The Authority may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to the retirement adviser(s) or its authorized representatives, issue such directions as it deems fit for the orderly growth of National Pension System or the subscribers including,-

(a) requiring a retirement adviser not to provide retirement advice for a particular period;

(b) requiring the retirement adviser to refund any money collected as fees, charges or otherwise to the concerned subscribers along with the requisite interest and compensation which may be prescribed by the Authority. In case of any loss caused to the subscriber(s) by an act of commission or omission on the part of Retirement Adviser, the Authority may invoke the Performance Guarantee submitted by the Retirement Adviser and Retirement Adviser may have to

IndiaCode

compensate the subscriber(s) in addition to Authority initiating penal action keeping in mind the extent of violation and level of violation as per the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the applicable regulations.

(c) prohibiting the retirement adviser from operating as a Retirement adviser for such period as may be specified.

CHAPTER V

SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE AND ACTION IN CASE OF DEFAULT

30. Cancellation or suspension of certificate of registration.-(1) Without prejudice to any other action which may be taken by the Authority, the certificate of a registration granted to a Retirement Adviser is liable to be suspended, cancelled or withdrawn upon happening any of the following events, namely:-

(a) fails to comply with any of the terms and conditions subject to which a certificate of Registration has been granted to it;

(b) contravenes any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or guidelines, notifications, directions, instructions or circulars issued by the Authority thereunder;

(c) voluntarily applies to withdraw the certificate of registration granted by the Authority;

(d) a receiver, receiver and manager, administrator or similar person is appointed with respect to the assets and undertakings of the retirement adviser;

(e) the retirement adviser,-

(i) goes into liquidation (other than for the purposes of a reconstruction or amalgamation on terms previously approved in writing by the Authority);

(ii) ceases to carry on business;

(iii) breaches any provision of the terms and conditions of registration, or fails to observe or perform any representation, warranty or undertaking given by the retirement adviser or fails to correct such breach or failure within ten working days of receiving notice in writing from the Authority specifying such breach or failure;

(iv) conducts its business in a manner prejudicial to the interest of the subscribers under National Pension System;

(v) does not co-operate in any enquiry conducted by the Authority;

(vi) indulges in manipulating the business under the National Pension System or any other pension schemes;

(vii) indulges in unfair trade practices.

(f) if retirement adviser, in the opinion of the Authority, has engaged in corrupt or fraudulent practices in obtaining the certificate of registration or has been blacklisted by any Government authority or regulator or an order of restraint, debarment, prohibition or any order of such like nature has been passed against it or such retirement adviser or any of its principal officer has been convicted by a court of law for commission of economic offences or involving any moral turpitude;

(g) if retirement adviser submits to the Authority a false statement or information which has a material effect on the rights, obligations or interests of the Authority or the subscribers;

(h) if retirement adviser does not submit periodical returns as required by the Authority;

(i) if retirement adviser fails to furnish any information as required by the Authority relating to its activities;

(j) there is a change in the ownership, management or key personnel of the retirement adviser which in the opinion of the Authority adversely affects the interest of the subscribers;

(k) performance is significantly and consistently low compared to assigned targets or with reference to other retirement advisers;

(l) acts in a manner prejudicial to the interests of the subscribers;

(m) does not cooperate in an inquiry conducted by the Authority;

(n) commits any acts of defaults as mentioned under section 28 of the Act;

(o) any other reason which in the opinion of the Authority warrants suspension, cancellation or withdrawal of the certificate of registration granted.

(2) The Authority may without prejudice to the powers under sub-regulation (1) instead of cancelling or suspending or withdrawing the certificate of registration, direct for varying or modifying the terms and conditions of the certificate of registration, as it may deem fit or pass any other order, as may be deemed beneficial in the interest of the subscribers, for reason to be recorded in writing.

IndiaCode

(3) No order of cancellation, termination or suspension of registration shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard under an inquiry conducted as per the Regulations.

(4) Persons or entities who are permitted to carry on the activities pertaining to retirement adviser under Regulation 4, without having obtained a certificate of registration or in whose case such certificate is not required, may also be liable to such actions, including being debarred, prohibited or suspended from offering services as such retirement adviser.

31. Effect of suspension or cancellation or withdrawal of certificate of registration.- (1) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate of registration, the retirement adviser shall-

(a) cease to transact fresh business under the National Pension System or other pension schemes, as the case may be;(b) take such action in respect of the assets, records, documents or information that may be in the custody or control of the retirement adviser, within the time limit and in the manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority;

(c) transfer at its own cost the assets, records, documents or information that are in its custody or control to another retirement adviser in the form and manner as may be directed by the Authority;

It shall also ensure that the transfer of all the relevant documents, record or information is made in accordance with the directions issued by the Authority. Any form of non-support or non-cooperation or obstructions from the retirement adviser shall render the retirement adviser liable for imposition of penalty;

(f) the retirement adviser shall be subject to the directions of the Authority until all such transfers or actions are completed or until, the certificate of registration remains suspended.

32. Appointment of designated authority.- (1)Where it appears to the designated member that any retirement adviser which has been granted certificate of registration under the Act, these regulations or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation 32, he may appoint an officer not below the rank of a Chief General Manager, or any other officer of an equivalent rank as a designated authority.

(2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

33. Issuance of notice.- (1) The designated authority shall, if it finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the retirement adviser or any other concerned person requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to it, should not be suspended or cancelled or why any other action provided herein should not be taken.

(2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.

(4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.

34. Reply by noticee. –(1 The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown bythe noticee and after recording reasons of extension in writing.

(2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter *exparte* recording the reasons for doing so and make recommendation as the case may be on the basis of material facts available before him.

35. Action in case of default.-After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, regulations, directions, guidelines, notifications or circulars issued or administered by the Authority, the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending,-

(a) suspension of certificate of registration for a specified period;

(b) cancellation of certificate of registration;

(c) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch new scheme for the period specified in the order;

(d) debarring the principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary, for the period as may be specified;

(e) imposition of any other condition , restrictions or compliances as may be deemed necessary upon the noticee or its principal officer or other officers or any other person concerned with it;

(f) warning the noticee.

36. Procedure for action on recommendation.- (1)On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show-cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, should not be taken.

(2) The noticee may, within twenty-one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the noticee and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.

(3) The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.

37.Intimation of order.- (1)Every report made by a designated authority and every order passed by the designated member under these regulations shall be dated and signed.

(2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the retirement adviser or any person concerned with it and also placed on the website of the Authority.

38. Penalty and adjudication.-The imposition of penalty, if any, on the retirement adviser or any person concerned shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

39. Appeals to Securities Appellate Tribunal.-The retirement adviser or any person concerned, aggrieved by an order under these regulations, may prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal, against such order in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 36 of the Act.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression,-

(a) "designated authority" means an officer of the Authority appointed under sub-regulation (1) of regulation 32;

(b) "designated member" means the Chairperson or a whole-time member of the Authority designated for the purpose;

(c) "noticee" means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

IndiaCode

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

40. Power of the Authority to issue clarifications etc. -In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, or for any other matter the Authority shall have the power to issue clarifications and guidelines in the form of notes or circulars which shall be binding on the retirement adviser or any person connected with it.

41. Power of the Authority over entity recognized under regulation 16.- The Authority shall have the right to alter, modify and overrule any decision, action taken by the body or body corporate recognized under regulation 16

42. Power of Authority to issue directions—(1) Without prejudice to any order that may be issued under these regulations, the Authority may, in the interest of the subscribers or for the purpose of securing the proper management of retirement adviser , issue necessary direction which the Authority may deem fit and proper in the circumstances of the case:

Provided that before issuing any directions, the Authority shall give to the persons concerned, a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that if the circumstances warrant that any interim direction is required to be passed immediately, the Authority may give to the persons concerned, a reasonable opportunity of being heard after passing the direction, without any undue delay.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./142]

FIRST SCHEDULE

FORM A

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

[See Regulations 3 and 11]

Application for Grant of Certificate of Registration/Renewal as Retirement adviser

Pension Fund Regulatory and Development Authority, B-14/A,Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Saria, New Delhi-110016

INSTRUCTIONS

1. This form is meant for use by the applicant for grant of certificate of registration as a retirement adviser.

2. The applicant should complete this form, and submit it, along with all supporting documents to the Authority at its head office at New Delhi.

3. This application form should be filled in accordance with these regulations.

4. The application shall be considered by the Authority provided it is complete in all respects.

5. All information must be legible and all the pages must be numbered with signature/ stamp on each page of the form.

6. Information which needs to be supplied in more detail may be given on separate sheets which should be attached to the application form and appropriately numbered.

7. The application must be signed.

8. The application must be accompanied by an application fee as specified in the Second Schedule to these regulations.

1. GENERAL INFORMATION

(a) Name, address of the registered office, address for correspondence and principal place of business, telephone number(s), fax number(s), e-mail address of the applicant along with the documents

(b) Whether application is for registration/ renewal. Provide registration number if the application is for renewal of certificate.

(c) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).

(d) Legal structure of applicant - Whether the applicant is an individual, a proprietor, body corporate (including company), partnership firm or limited liability partnership or society or trust.

(e) Whether the applicant is a bank /NBFC.

(f) Date and place of incorporation/ establishment, if any. If the applicant is incorporated outside India, details of such incorporation.

(g) Whether the applicant is engaged in retirement advisory services prior to making application under these regulations.

(h) Whether the applicant is registered with SEBI, RBI, IRDAI or PFRDA in any capacity. If so, details of such registration.

(i) Write-up on the activities of the applicant.

(For renewal application, provide details of existing retirement advisory services including number and type of subscribers, assets under advice, revenue, profitability, products/ retirement products on which retirement advice was provided, etc.)

(j) Details of the certification from the accredited institute as specified in regulations 7, where applicable.

2. DETAILS OF APPLICANT (besides general information sought above Provide details of only the section applicable to you)

I. In case applicant is a company:

1. Shareholding pattern and profile of the directors (Enclose identity proof and address proof of the directors).

2. Number of employees and agents of the applicant (hereinafter referred to as 'representatives') who render/ propose to render retirement advice under these regulations on behalf of the applicant.

3. Declaration by the applicant that its representatives currently comply with the certification and qualification requirements under regulation 7.

4. Declaration by the applicant that it shall ensure that its representatives comply with the certification and qualification requirements under Regulation 7 at all times.

5. List of associated companies registered with SEBI, RBI, IRDAI or PFRDA along with the registration number.

6. If applicant is a bank or NBFC, then copy of approval from RBI for undertaking retirement advisory services.

7. Net worth certificate by a chartered accountant, not more than six months old. Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate,

II. In case applicant is a proprietorship firm, partnership firm or a limited liability partnership:

1. Name of proprietor, names and beneficial ownership pattern of the partners engaged/proposed to engage in retirement advice (Enclose identity proof and address proof of the partners).

2. Whether the aforesaid proprietor or partners have:

a. A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association; or

IndiaCode

b. A graduate in any discipline with an experience of at least five years in activities relating to advice in financial products or retirement products or fund or asset or portfolio management.

(Provide self- certified copies of supporting documents).

3. Copy of certification obtained by the aforesaid partners in accordance with regulation 7.

4. Declaration that the aforesaid proprietor or partners shall obtain fresh certification before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with certification requirements.

5. Copy of assets and liabilities statement and certification of net tangible assets of the proprietor or partnership firm certified by a chartered accountant (not more than six months old at the time of filing of application). Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate.

III. In case applicant is a body corporate (other than company or limited liability partnership):

1. Shareholding pattern and profile of the directors (Enclose identity proof and address proof of the directors).

2. Whether the applicant is set up or established under an Act or the laws of the Central or State Legislature and whether the applicant is permitted to carry on of the activity of a retirement adviser (Enclose relevant extract of the relevant Statute/Act).

3. Number of employees and agents of the applicant (hereinafter referred to as 'representatives') who render/ propose to render retirement advice under these regulations on behalf of the applicant.

4. Declaration by the applicant that its representatives currently comply with the certification and qualification requirements under regulation 7.

5. Declaration by the applicant that it shall ensure that its representatives comply with the certification and qualification requirements under regulation 7 at all times.

6. Net worth certificate by a chartered accountant, not more than six months old. Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate.

IV. In case applicant is an individual

(1) Name, permanent address, address for correspondence and principal place of business, telephone number(s), fax number(s), e-mail address of the applicant along with the documentary proof.

(b) Whether application is for registration/ renewal. Provide registration number if the application is for renewal of certificate.

(c) Educational qualification along with supporting documents I,e. mark sheet, certificate etc.

(d) Professional qualification along with the supporting documents I,e. mark sheet, certificate etc. where applicable.

3. BUSINESS PLAN

1. Proposed business plan & means of achieving the same.

2. Process for risk profiling of the subscriber and for assessing suitability of advice.

4. DETAILS OF INFRASTRUCTURE

1. Details of office space, office equipment, furniture and fixtures, communication facilities, research capacity, research software for undertaking retirement advisory services.

2. Declaration that the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of a retirement adviser.

5. EXECUTION SERVICES

1. If the applicant is a body corporate, to explicitly mention whether the applicant proposes to offer distribution or execution services to its subscribers.

2. If yes, the applicant has to provide a declaration that the services are being offered through a subsidiary or separately identifiable department or division.

6. OTHER INFORMATION/DECLARATIONS/ REGULATORY ACTIONS.-

(a) Details of all settled and pending disputes in the last 5 years.

(b) Whether any previous application for grant of certificate made by any person directly or indirectly connected with the applicant has been rejected by the Authority; If yes, provide details of the same.

(c) Whether any disciplinary action or orders of restraint, debarment or prohibition of any orders of such like nature has been taken by the Authority or any other regulatory authority or government against any person directly or indirectly connected with the applicant under the Act or the regulations made there under in the last 5 years immediately preceding the date of application. If yes, provide details of such action.

(d) Whether the applicant/directors/promoters/ partners have been convicted/ indicted/involved in any economic offence

IndiaCode

or involving moral turpitude in the last 5 years immediately preceding the date of application. If yes, provide details of the same.

(e) A credit report/ score from CIBIL for the applicant. (For applicants other than financial institutions & banking companies)

(f) Declaration that the applicant, its representatives and partners, if any, are fit and proper persons based on the criteria as specified by Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016;

(g) Declaration that the applicant shall not obtain any consideration by way of remuneration or compensation or any other form whatsoever, from any person other than the subscriber being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided to the subscriber.

(h) Any other information considered relevant to the nature of services to be rendered by the applicant.

7. DECLARATION STATEMENT

I/We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true. AND I/ we further agree that, I/we shall notify the Authority immediately of any change in the information provided in the application.I/ We further agree that I/ we shall comply with, and be bound by the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the rules and regulations made thereunder including the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Advisers) Regulations, 2016, and any guidelines/circulars/notifications/directions and instructions as may be issued by the Authority from time to time.

I/ We further agree that as a condition of registration, I/ we shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by the Authority from time to time.

For and on behalf of

(Name of the applicant)

Authorized signatory/ Applicant

(Signature)

(Date and Place)

FORM B

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 [See regulation 9]

Certificate of registration as Retirement Adviser.

In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development authority Act, 2013 (23 of 2013), read with the regulations made there under, the Authority hereby grants a certificate of registration to _____ act as a retirement adviser subject to the conditions specified hereunder and in the Act and in the regulations made thereunder

II. The Registration Number of the retirement adviser is _____ and shall remain valid until.....

Date :

Place : New Delhi

For and on behalf of

Pension Fund Regulatory and Development Authority

SECOND SCHEDULE

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 [Regulation 9]

FEES

1. Every individual applicant shall pay non-refundable application fees of five hundred rupees and every applicant other than individuals shall pay non-refundable application fees of five thousand rupees, along with the application for grant or renewal of certificate of registration.

2. Applicants which are individuals shall pay a sum of one thousand rupees as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Authority.

3 Applicants which are firms/body corporate/ registered trust /society shall pay a sum of ten thousand rupees as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Authority.

4. The fee referred to in paragraph 2 and 3 shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Authority by a demand draft in favour of 'PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY' payable at New Delhi. or as specified by the Authority from time to time.

5. The quantum of fee under this schedule may be revised by the Authority from time to time by issuing appropriate circulars, directions or notifications. The Applicant shall be required to pay the applicable fee as notified by the authority.

THIRD SCHEDULE

IndiaCode

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 [See sub-regulation (14) of regulation 15]

CODE OF CONDUCT FOR RETIREMENT ADVISER

1. Honesty and fairness

A retirement adviser shall act with integrity, honesty, fairness and in the best interests of its subscribers and for orderly growth of National Pension System and pension sector at all times..

2. Diligence

A retirement adviser shall act with due skill, care and diligence in the best interest of the subscribers and shall ensure that its advice is offered after thorough analysis and taking into account available alternatives.

3. Capabilities

A retirement adviser shall have and employ effectively appropriate resources and procedures which are needed for the efficient performance of its business activities.

4. Information about prospects/subscribers

A retirement adviser shall seek from its prospects or subscribers, information about their financial situation, investment experience and retirement objectives relevant to the services to be provided and maintain confidentiality of such information.

5. Information to its subscribers

A retirement adviser shall make adequate disclosures of relevant material information while dealing with its prospects or subscribers.

6. Fair and reasonable charges

A retirement adviser advising a prospect may charge fees, subject to any ceiling as may be specified by the Authority, if any. The retirement adviser shall ensure that the fee charged to the subscribers is fair and reasonable.

7. Conflicts of interest

A retirement adviser shall try to avoid conflicts of interest as far as possible and when they cannot be avoided, it shall ensure that appropriate disclosures are made to the prospects and that the prospects are fairly treated.

8. Compliance

A retirement adviser including its representative(s) shall comply with all regulatory requirements applicable to the conduct of its business activities so as to promote the best interests of subscribers and maintain integrity in its dealings..

9. Responsibility of senior management

The senior management of a body corporate which is registered as retirement adviser shall bear the primary responsibility for ensuring the maintenance of appropriate standards of conduct and adherence to proper procedures by the body corporate.

A retirement adviser shall place the interest of the subscriber over his self interest in conducting his activities under the National Pension System

A retirement adviser shall refrain from making any derogatory, disparaging remarks or statements against the National Pension system or the Authority or other intermediaries.

Fourth Schedule

Individual Risk Profiling Sheet

Name	_____	**Gender**	M / F	**Age:**	_____
Education:	SSC	HSC	Graduate	Masters	Professionals (CA, CS, CMA etc.)
Profession	Salaried (Govt/ Pvt.)	Professional/ Self employed	Agriculture	**No. of Dependents**	_____
Personal Life Insurance	Y/N	**If Y, Amount of Covrage**	_____		
Personal Health Insurance for Self and Dependents	Y/N	**If Y, Amount of Coverage**	_____		
City/Place of Residence:	_____	**Residence:**	Owned/ Rented		
Income Details per annum	0-5 Lakh	5-10 Lakh	10-25 Lakh	25 Lakh or above	
Take Home Salary per month (in Rs.)	_____				

IndiaCode

Approx. Monthly Expenditure per month (in Rs.) Rent _____ Food _____ Education _____ Health_____ EMIs ____ Miscl._____

Monthly Investment Details (In Rs.) MFs/SIPs _____Bank Deposit/ FD/ RD_____ Shares/ Equity/ Bonds/ Debentures _____

Asset Details (value in Lakh) House _____ Car _____ Land ____ Gold, Jewellery, Bank Deposits etc. _____

Liabiilty Details (value in Lakh) House _____ Car _____ Personal Loan ___ Education Loan_____ Miscl. _____

Individual Risk Profiling

On a scale of 1 to 5 kindly rate the following statements

1- Strongly Disagree; 2- Disagree; 3- No strong opinion/ Neutral view; 4- Agree; 5- Strongly Agree

a. For investments I follow the dictum" Be Safe than Sorry"	1	2	3	4	5
,,,, b. I find investment and other financial matters easy to understand.	1	2	3	4	5
c. My retirement savings would be enough to take care of post retiral expenses.	1	2	3	4	5
d. Investments in equity are safe.	1	2	3	4	5
e. I am concerned by the uncertaininty of the stock market.	1	2	3	4	5
f. Investments in Government Securities are safe	1	2	3	4	5
,g. I prefer the safety of keeping my money in the bank.	1	2	3	4	5
h. Risk and Return go hand in hand.	1	2	3	4	5
i. Inflation is going to be high in future.	1	2	3	4	5
j. High inflation is going to eat into my retirement savings.	1	2	3	4	5
k. I would need to supplement my retirement income by working post my reitirement.	1	2	3	4	5
l. Investments in Corporate Bonds are safe.	1	2	3	4	5
m. I generally look at the safest investments, even if it means less returns	1	2	3	4	5
,n. I associate the word 'risk' with the idea of 'opportunity'.	1	2	3	4	5

IndiaCode

Decleration:

I hereby declare that I have willingly provided the abovementioned information to the Retirement Adviser. However, the said information is confidential and for the purpose of estimating the **Individual Investment Risk Profile** only. It should not be utilized for any other purpose or study without my express permission and/or consent.

Signature Signature & Stamp

Subscriber Retirement Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.